खण्ड– 07 सत्र–01 (भाग–5) / अंक– 07

बृहस्पतिवार 17 दिसम्बर, 2020 / 26 अग्रहायण, 1942 (शक)

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्यमेव जयते

सातवीं विधान सभा

पहला सत्र

अधिकृत विवरण

(खण्ड–07 (भाग–1) में अंक 07 से अंक 08 सम्मिलित हैं।)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

पुराना सचिवालय, दिल्ली–54

सम्पादक वर्ग
EDITORIAL BOARD

सी. वेलमुरुगन
सचिव
C. VELMURUGAN
Secretary

एम.एस. रावत
उप सचिव (सम्पादन)
M.S. RAWAT
Deputy Secretary(Editing)

विषय–सूची

सत्र–1 (5) बृहस्पतिवार 17 दिसम्बर, 2020 /26 अग्रहायण,1942 (शक) अंक–7

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1.	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची	3–4
2.	श्रद्धांजलि	5
3.	विशेष उल्लेख (नियम–280)	6
4.	सरकारी संकल्प (नियम–90)	7
5.	सरकारी संकल्प (नियम–90)	8–62
6.	सदन पटल पर प्रस्तुत कागजात	63
7	सदन में अव्यवस्था	64–67

दिल्ली विधान सभा
की
कार्यवाही

सत्र–1 (5) – बृहस्पतिवार 17 दिसम्बर, 2020 / 26 अग्रहायण,1942 (शक) अंक–07

दिल्ली विधान सभा

सदन अपराह्न 2:00 बजे समवेत हुआ।

निम्नलिखित सदस्य सदन में उपस्थित हुएः

1	श्री अजेश यादव	16	श्री जय भगवान
2	श्री अखिलेशपति त्रिपाठी	17	श्री जितेन्द्र महाजन
3	श्रीमती ए.धनवती चंदेला ए.	18	श्री करतार सिंह तंवर
4	श्री अजय दत्त	19	श्री कुलदीप कुमार
5	सुश्री आतिशी	20	श्री महेन्द्र गोयल
6	श्री अमानतुल्लाह खान	21	श्री मुकेश कुमार अहलावत
7	श्री अभय वर्मा	22	श्री महेंद्र यादव
8	श्री अनिल कुमार बाजपेयी	23	श्री मदन लाल
9	श्री अब्दुल रहमान	24	श्री मोहन सिह बिष्ट
10	श्री अजय कुमार महावर	25	श्री नरेश बाल्यान
11	श्रीमती बंदना कुमारी	26	श्री नरेश यादव
12	श्री भूपेन्द्र सिंह जून	27	श्री ओम प्रकाश शर्मा
13	श्री धर्मपाल लाकड़ा	28	श्री पवन शर्मा
14	श्री गिरीश सोनी	29	श्रीमती प्रीति जितेन्द्र तोमर
15	मो0 हाजी युनूस	30	श्रीमती प्रमिला धीरज टोकस

निम्नलिखित सदस्य सदन में उपस्थित हुए: 4 17 दिसम्बर, 2020

31	श्री प्रकाश जारवाल	42	श्री शिव चरण गोयल
32	श्री ऋतुराज गोविन्द	43	श्री सोमनाथ भारती
33	श्री रघुविन्दर शौकीन	44	श्री सौरभ भारद्वाज
34	श्री राजेश गुप्ता	45	श्री सहीराम
35	श्री राज कुमार आनन्द	46	श्री एस.के. बग्गा
36	श्री राजेश ऋषि	47	श्री सुरेन्द्र कुमार
37	श्री राघव चड्ढा	48	श्री विजेन्द्र गुप्ता
38	श्री रोहित कुमार	49	श्री विशेष रवि
39	श्री शरद कुमार चौहान	50	श्री विनय मिश्रा
40	श्री संजीव झा	51	श्री विरेन्द्र सिंह कादयान
41	श्री सोम दत्त		

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र–1 (5) – बृहस्पतिवार 17 दिसम्बर, 2020 /26 अग्रहायण,1942 (शक)
अंक–07

सदन अपराह्न 2.00 बजे समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष (श्री राम निवास गोयल) पीठासीन हुए।

(राष्ट्रीय गीत वन्देमातरम)

श्रद्धांजलि

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्यगण! सातवीं विधान सभा के प्रथम सत्र के पांचवें भाग में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे शालीनतापूर्वक और कम से कम समय में अपने विचार रखें ताकि सदन का समय खराब न हो। मैं माननीय सदस्यों को ये भी बताना चाहूँगा कि कार्यसूची में सूचीबद्ध विषयों के अलावा किसी अन्य विषय पर विचार नहीं किया जाएगा। मेरा सभी माननीय सदस्यों से पुनः अनुरोध है कि वो सदन सुचारू रूप से चलाने में सहयोग दें।

माननीय सदस्यगण! जैसा आप जानते हैं कि दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर किसान कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। वे इस कड़कड़ाती सर्दी में खराब परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। इस कारण कई किसानों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी है। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से किसानों के लिए हार्दिक संवेदना और सहानुभूति प्रकट करता हूँ। आशा है कि शीघ्र ही इस समस्या का समाधान हो पायेगा।

अब दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए सदन द्वारा दो मिनट का मौन धारण किया जाए।

(सदन में दो मिनट का मौन रखा गया।)

विषेश उल्लेख (नियम–280)

माननीय अध्यक्षः ओम शांति शांति। ये केवल एक दिन का सत्र है। आज एक सरकारी संकल्प प्रस्तुत होगा और एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होगी। अतः समय के अभाव को देखते हुए सदस्यों द्वारा विशेष उल्लेख के तहत उठाये जाने वाले सभी मामलों को पढ़ा हुआ माना जाएगा। जो विशेष उल्लेख में जिनके नाम आये थे, मैं नाम बोल लेता हूं; श्री सोम दत्त, श्री मोहन बिष्ट जी, श्री जय भगवान जी, श्री नरेश बाल्यान जी, श्री भूपेन्द्र सिंह जून जी, श्री अखिलेशपति त्रिपाठी जी, श्री अजय महावर जी, श्री जितेन्द्र महाजन जी, श्री अभय वर्मा जी, इन सब माननीय सदस्यों के नाम आये थे, इनको पढ़ा हुआ माना जाएगा।

सरकारी संकल्प (नियम–90)

माननीय अध्यक्षः अब श्री कैलाश गहलोत जी, माननीय राजस्व मंत्री नियम–90 के तहत सरकारी संकल्प प्रस्तुत करने की परमिशन लेंगे।

माननीय राजस्व मंत्री (श्री कैलाश गहलोत): अध्यक्ष महोदय, मैं नियम–90 के तहत सरकारी संकल्प प्रस्तुत करने के लिए सदन की परमिशन चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्षः यह प्रस्ताव सदन के सामने है,

जो इसके पक्ष में हैं वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं न कहें,

(ध्वनिमत हाँ पक्ष में होने पर)

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी)

हां पक्ष जी, हां पक्ष जीता,

प्रस्ताव पारित हुआ।

माननीय अध्यक्षः सदन द्वारा मंत्री महोदय को संकल्प प्रस्तुत करने की परमिशन दी गयी। अब माननीय राजस्व मंत्री संकल्प प्रस्तुत करेंगे और संकल्प के संबंध में अपने विचार व्यक्त करेंगे।

माननीय राजस्व मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, संकल्प प्रस्तुत करने से पहले मैं दो शब्द रखना चाहूंगा आपकी परमिशन के साथ। लगभग पिछले 21–22 दिन से केंद्र सरकार 3 कानून जो लेकर आयी, जिनको हम बार–बार फार्म लॉज के नाम से कह रहे हैं, कृषि कानून के नाम से बार–बार उनको संबोधित किया जा रहा है और जिसके खिलाफ हजारों–लाखों किसान दिल्ली के जितने भी बॉर्डर्स हैं, उस पर इस कड़कड़ाती ठंड में बिना किसी चीज की चिंता किये पिछले 21–22 दिन से दिल्ली को चारों तरफ से घेरा हुआ है। और अब आज के दिन सिर्फ किसान ही नहीं, अलग–अलग जो यूनियंस हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, चाहे हमारे फौजी भाई हैं और

आज मैं, इस सदन में मुझे जो मौका मिला आज बोलने के लिए, मैं बिल्कुल ये बहुत गर्व के साथ ये कहना चाहता हूँ कि आज मैं ये सदन में किसान के बेटे के नाते बोल रहा हूं, किसान के परिवार के नाते से बोल रहा हूँ। राजस्व मंत्री के नाम से रूल–90 में हम रेजलूशन मूव कर रहे हैं लेकिन बहुत गर्व के साथ एक किसान परिवार से होने के नाते मैं ये आपके बीच रख रहा हूँ। ये हजारों–लाखों किसान, बार–बार मन में ख्याल आता है कि क्यों बैठे हैं? बहुत लोगों ने पूछा मेरे से कि जी, ये किसान क्यों बैठे हैं और ये हम सबको अंदर से कहीं न कहीं खाये जा रहा है कि ऐसी क्या बात हो गयी कि केंद्र सरकार कुछ कानून लेके आयी। हम सबको मालूम है, ये सदन में हम बैठे हैं, यहां जितने भी सदस्य बैठे हैं, हम भी जितने भी यहां बिल लेके आये जो कानून बने, क्या हम उसको इंट्रोडयूस नहीं करते पहले? क्या परामर्श नहीं होता? क्या डिबेट नहीं होती? क्या डिस्कशन नहीं होता उन बिल्स पे? तो ऐसी केंद्र सरकार की क्या मजबूरी थी कि इस महामारी के दौरान ऑर्डिनेंस लाके और ऐसे कानून जिन्होंने, जो व्यवस्था एक सौ–डेढ़ सौ साल से चली आ रही थी, उसको पूरा ही तहस–नहस कर दिया। एपीएमसी जो एक सिस्टम चला आ रहा था, उसको तहस–नहस कर दिया। ऐसी क्या मजबूरी थी कि बिना किसी डिबेट के, बिना लोक सभा में किसी डिबेट–डिस्कशन के, बिना राज्य सभा में प्रॉपर वोटिंग के, बिना जितने भी स्टेक–होल्डर्स हैं, जितने भी किसान यूनियन हैं, जितने भी किसान के अलग–अलग दल हैं, उनसे किसी भी प्रकार की, आज अलग–अलग जगह बीजेपी के एम.पी. घूम रहे हैं, बता रहे हैं कि जी, इसमें ये चीज है। हम गीता के हाथ पे कसम खाके बोलते हैं, बड़े अफसोस की बात है स्पीकर सर, और पहले दिन से ही जब किसान हमारे, हमें पता चला कि दिल्ली के बॉर्डर पर पहुंचे तो माननीय सी.एम. साहब ने तुरंत आदेश दिया कि भई जाके देखो, सारे अधिकारी को साथ लेके जाओ... और बहुत बड़ी साजिश भी की कि जितने भी स्टेडियम हैं, उनको केंद्र सरकार ने परमिशन मांगी, माननीय मिनिस्टर–होम यहां बैठे हैं, परमिशन मांगी, क्यों मांगी कि जितने भी किसान भाई हैं इनको उठाके स्टेडियम में डाल देना और उसको वहीं की वहीं जेल बना देना। लेकिन इस पूरी सरकार, इस पूरी आम आदमी पार्टी में कहीं न कहीं हम ये देख पाये और हमने ये महसूस किया कि उनकी जो मांगे हैं, बिल्कुल सही हैं। आखिर किसान क्या मांग रहा है? किसान इतना ही तो मांग

रहा है कि जो वो अपनी फसल उगाये और किसान... मेरे ख्याल से जितना संघर्ष और हमने तो बचपन से देखा है, यहां जितने भी माननीय विधायक रुरल एरिया से हैं, वो भी और मेरे ख्याल से हम सब, जितने भी सदस्य यहां बैठे हैं, कहीं न कहीं से कनेक्टेड हैं। वो खेत बाने से लेके, ट्रैक्टर के साथ, वो हैरो से ले के कल्टिवेटर से लेके, उसकी सिंचाई करने से लेके, उसमें जो बीज बोता है, जो खाद डालता है, जो पेस्टीसाइड डालता है और फिर फसल काटने से लेके, उसकी थ्रेशिंग करने से लेके... क्या किसान का इतना हक नहीं कि जो उसने लगाया, कम से कम वो उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस के तौर पे उसको वापिस मिले? एक तरह से हम कह रहे हैं, ''किसान हमारा अन्नदाता है, किसान भगवान का रूप है।'' और आज जब 21–22 दिन से किसान जब यहां बैठे हैं तो केंद्र सरकार में किस प्रकार का अहंकार? लेकिन माननीय सी.एम. साहब ने बार–बार ये कहा और ये चीज फिर मैं दोहरा रहा हूं, इस संघर्ष में, इस लड़ाई में, इस आंदोलन में पूरी पार्टी, पूरी दिल्ली सरकार, माननीय सी.एम. साहब के नेतृत्व में हर प्रकार से किसानों की डिमांड के साथ हम खड़े हैं। माननीय सी.एम. साहब ने आदेश दिया है मुझे कि आप जाइये, सभी अधिकारियों को वहां लेके जाइये और ये गारंटी दीजिये कि वहां किसी भी प्रकार की वहां, चाहे वो टैण्ट है, चाहे पानी पीने की सुविधा है, चाहे टॉयलेट है, चाहे खाना है, चाहे वहां डॉक्टर्स की पूरी टीम है और लगातार उसी दिन से इन सब चीजों का वहां प्रबंध किया गया। हमारे जितने भी माननीय मंत्री हैं, विधायक हैं, विधायक हमारे कितने विधायक जो हैं, वो वहां उनके साथ सो रहे हैं, रह रहे हैं ताकि उनको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो। हमारे जितने कार्यकर्ता हैं वो दिन रात उनकी सेवा करने में, माननीय सी.एम. साहब वहां खुद गये, एक सी.एम. बनके नहीं, एक सेवक बनके वहां गये और उन्होंने खुद निरीक्षण किया कि किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं, जिस भी चीज की वहां कमी अगर मिली तो उन्होंने तुरंत आदेश दिये कि भई इन चीजों को पूरा किया जाये।

एक चीज बार–बार स्पीकर सर, बार–बार ये समझ में आती है कि अगर ये कह रहे हैं कि एपीएमसी में बड़ी गड़बड़ है तो जो चीज में गड़बड़ है, वो चीज में कमी है, उसको सुधारना चाहिए। दिल्ली सरकार के स्कूलों में बड़ी कमी थी तो क्या हमने सरकारी

स्कूल बंद कर दिये? सरकारी स्कूल बंद नहीं किये। उनको पूरे दिल्ली में नहीं, पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में एक अलग स्तर पर दिल्ली के जो आज सरकारी स्कूल हैं, उनको लेके गये, जहां लाखों बच्चे जो हैं अपनी बढ़िया तरीके से शिक्षा ले रहे हैं।

तो किसानों की जो डिमांड है, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल जैनुइन है। ये पूरा सदन, दिल्ली सरकार किसानों की हर डिमांड के साथ कंधे से कंधा मिलाके खड़ी है। और मैं तो ये कहूंगा कि केंद्र सरकार किस अहंकार में है, ये मेरी समझ के बाहर है लेकिन उनको ये तीनों कानून वापिस ले लेने चाहिए और एक नया जो है, वो बिल लेके आये जिसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मेन्शन हो, जिससे कि किसान बढ़िया तरीके से अपनी फसल बिना किसी चिंता के, बिना किसी कॉर्पोरेट के भय से, बिल्कुल अच्छे तरीके से अपनी फसल बेचे और अपना घर और परिवार चलाये।

स्पीकर सर, विद युअर परमिशन ये रेजलूशन का टेक्स्ट मैं पढ़ने की अनुमति चाहूंगा।

माननीय अध्यक्षः हाँ अनुमति है, पढ़िए।

Shri Kailash Gahlot, Hon'ble Minister of Revenue:

"Taking note of the fact that the Parliament of India has recently enacted following three Laws, commonly referred as 'Farm Laws', which make wide ranging changes in the existing farm practices throughout the country,

(a) The Farmers' Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Act, 2020;

(b) Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Act, 2020, and

(c) The Essential Commodities (Amendment) Act, 2020;

Taking further note of the fact that farmers across the country have been agitated with various provisions of these laws, which are considered to be detrimental not only to the interests of the farmers but also the common man;

Taking note of the fact that there is wide spread belief that these Farm Laws have been pushed through the Parliament by the present Government in power at the behest of certain corporates which may ultimately lead to loss of income for the farmers;

Taking further note of the fact that large number of farmers have been protesting on the borders of Delhi in chilly winters and some of them are also reported to have lost their lives;

With the considered view that the farmer community has been extremely agitated at the way these Bills have been pushed through in the Parliament without any consultation with the stakeholders,without proper voting in Rajya Sabha and the refusal of the Government of India to agree to the rightful demands of the farmers;

And the resolve of the Government of NCT of Delhi to wholeheartedly support the demand of the farmers;

This House rejects all the three enactments and earnestly appeals to the Government of India

that in the interest of the nation, the Farm Laws passed by the Parliament may be repealed with immediate effect and separate Bill guaranteeing government purchase of all crops at MSP be passed by the Parliament and all other demands be accepted.

बहुत–बहुत धन्यवाद स्पीकर साहब।

माननीय अध्यक्षः संकल्प पर चर्चा में और सदस्य चर्चा में भाग ले सकते हैं। श्री महेन्द्र गोयल जी।

श्री महेन्द्र गोयलः धन्यवाद, अध्यक्ष जी जो आपने...

माननीय अध्यक्षः एक सेकंड महेन्द्र जी। मैं माननीय सदस्यों से सबसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि पांच मिनट से ज्यादा का समय कृपया न लें, करिये शुरू।

श्री महेन्द्र गोयलः धन्यवाद, अध्यक्ष जी जो आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल के ऊपर बोलने का मौका दिया। देश के अन्दर एक सरकार बनायी गई थी जिसके ऊपर बहुत विश्वास किया गया था लेकिन लोगों के विश्वास पर खरा न उतरते हुए अंहकार में डूबते हुए कुछ पूंजीपतियों के हाथ के अन्दर देश के किसानों को बेचने का काम केन्द्र सरकार ने किया जो बहुत निंदनीय है। उसको अपोज करने का काम विपक्ष का होता है लेकिन यहाँ पर विपक्ष भी फेल रहा है, पुरजोर आवाज़ नहीं उठा सके। सिर्फ एक ही पार्टी के सांसद ऐसे थे जिन्होंने वो पुरजोर आवाज़ उठायी किसानों के हित के अन्दर और राज्य सभा से उनको निलम्बित भी किया गया है। जो भी किसी के हक की आवाज़ उठाता है तो उसको निलम्बित कर देते हैं जो कि बहुत शर्मनाक है। आज देश के लाखों–करोड़ों किसान दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं लेकिन इस सरकार के कान के ऊपर जूँ भी नहीं रेंगती। अरे! बहुत विश्वास करके बनाया था आप लोगों को, अंहकार में डूब गए हो आप और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ उस केन्द्र सरकार को, "अंहकार से तीनों गए, अंहकार से तीनों गए धर्म, वैभव और वंश और यकीन नहीं तो देख लो रावण, कौरव और कंस"। रावण का भी क्या हाल हुआ है। पूरे के पूरे कुनबे का सत्यानाश हो गया, पूरी की पूरी जाति का सर्वनाश हो गया और यही हाल कौरवों का हुआ। सौ–सौ पुत्र जन्मने के बाद भी एक भी पुत्र उसके अन्दर नहीं बचा और यही हाल कंस का हुआ। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा केन्द्र सरकार से, इन किसानों की बातों को सुनें, इनके दर्द को समझें। आपने जो पूंजीपतियों के हाथ के अन्दर इन किसानों को बेच दिया है, उस बिल को आप निरस्त करें और इनको न्याय देने का आप कार्य करें। सिर्फ आज आम आदमी पार्टी इन किसानों के लिए बॉर्डर के ऊपर चाहे किसी भी रूप में है, खाने के रूप में है, पानी के रूप के अन्दर है, टॉयलेट्स की समस्या के लिए है, डॉक्टरों के लिए है, डॉक्टरों को भी दिल्ली सरकार अपने हरियाणा के अन्दर जिस सीमा के अन्दर बैठे हैं, वहां पर भी पानी पहुंचाने का काम किया है तो अरविंद केजरीवाल जी ने किया है।

मैं देश के किसानों को कहना चाहता हूँ ये दिल्ली विधान सभा आपके साथ है। अरविंद केजरीवाल जी आपके साथ हैं। इसका हर विधायक आपके साथ है और

इसके हर मंत्री आपके साथ हैं। आपको अभी 21–22 दिन हो गए। मुझे पूरा यकीन है आज इस सदन के अन्दर ये आवाज़ उठ रही है। केन्द्र सरकार जरूर इस आवाज़ को सुनेगी और अपने बिलों को निरस्त करेगी और इन किसानों को वो न्याय मिलेगा, ये हमें पूर्ण उम्मीद है क्योंकि ये अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी की सरकार है और मैं कहना चाहूंगाः

"ना रहबर से निकलेगा ना रहगुज़र से निकलेगा,

इन किसानों के पांव का कांटा तो आपसे ही निकलेगा,

आपसे ही निकलेगा"

आम आदमी पार्टी से निकलेगा, अरविंद केजरीवाल से निकलेगा। दिल्ली की इस विधान सभा से आपके पांव के कांटा जरूर निकलकर रहेगा। ये बिल पास किये हैं जो तीन काले कानून हैं। इनमें पूंजीपतियों के हाथों के अन्दर बेचने का केन्द्र सरकार ने जो ष्शड़यंत्र रचा है, इस बिल की कॉपी को मैं इस सदन के अन्दर फाड़ता हूँ। इस कानून को हम नहीं मानते हैं। किसानों के माध्यम से कह रहा हूँ क्योंकि लगातार 21 दिन से मैं उन किसानों के साथ मैं वहां पर बॉर्डर के ऊपर बैठा हूँ। वहां पर आत्महत्या करने के लिए लोग मजबूर हो रहे हैं। अभी आत्महत्या भी हुई है। जो आपने अखबारों के माध्यम से पढ़ा होगा। वहां पर इतनी ठिठुरती ठंड के अन्दर इन किसानों ने अपने बलिदान दे दिये और इनको केन्द्र सरकार के कुछ आदमी यह कह रहे हैं, ये खालिस्तानी हैं। शर्म आती है! ये इन लोगों को खालिस्तानी बता रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले आप सबने पढ़ा होगा अखबारों के अन्दर, सीमा के ऊपर सीमाओं की रक्षा करते हुए एक जवान ने अपनी शहादत दे दी और जब बाद में पता चला वो जवान कहाँ का था, वो जवान आपके पंजाब का था और पता लगा कि उसका पिता कहाँ पर बैठा है उसका पिता यहां सिंघू बॉर्डर के ऊपर किसानों के हक के लिए वहां पर वो बैठा था। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को, ऐसे आदमियों को शर्म आनी चाहिए जो इन लोगों को खालिस्तानी बताते हैं। आपको सत्ता पर भी बिठाने वाले यही किसान थे और आपकी सत्ता को उखाड़ने वाले भी यही किसान होंगे, मैं यह पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ।

अध्यक्ष जी, जितना दर्द इस समय किसानों को हो रहा है, आम आदमियों को भी हो रहा है क्योंकि जो भी रोटी खायी जाती है, इन किसानों के द्वारा जो अनाज उगाया जाता है, उसी के बलबूते पर हम लोग रोटी खाते हैं। आज तो लग रहा है ये किसानों की लड़ाई है। ये किसानों की लड़ाई नहीं है अध्यक्ष जी, ये लड़ाई आज हर उस आम आदमी की है जो अनाज खाता है। इन्हीं पूंजीपतियों के हाथ के अन्दर ये देश को बेचने का काम कर रहे हैं क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट खेती का किया था। जिस व्यक्ति के गोदामों के अन्दर जब सारा अनाज चला जायेगा, मनमाने रेट के ऊपर वो अनाज बेचेगा या नहीं बेचेगा?

माननीय अध्यक्षः महेन्द्र जी, कन्क्लूड करिए प्लीज़।

श्री महेन्द्र गोयलः कन्क्लूड तो ये किसान कर देंगे अध्यक्ष जी और बहुत जल्दी कर देंगे। बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं चलती और मैं आपके माध्यम से एक और बात कहना चाहता हूँ। केन्द्र सरकार को सुनाना चाहता हूँ, श्काम करो कुछ ऐसा, काम करो कुछ ऐसा कि लोग तुम्हार लौटने का इन्तज़ार करें, अरे न करो अनर्थ कुछ ऐसा कि लोग तुम्हारे मिटने का इन्तज़ार करें, लोग तुम्हारे मिटने का इन्तज़ार करेंश। आज दिल्ली की सीमाओं के ऊपर जितने भी किसान बैठे हैं, ये अपने–अपने राज्यों के धरना देकर बैठे हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार उन किसानों के साथ में पहले भी थी, आज भी है और भविष्य के अन्दर भी रहेगी। ये हम सभी किसानों को यहां से विश्वास दे रहे हैं क्योंकि ये अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है जो कि हर व्यक्ति के दुःख–दर्द को जानती है और जो ये तीनों काले कानून पास किए हैं इन्होंने, मैं खुद इस बिल को फाड़ता हूँ (कुछ कागज फाड़ते हुए) और इस ऐसे काले बिल को मानने से बिल्कुल इन्कार करता हूँ जो कि दकियानूसी है। जो इन किसानों की जान लेने पर आमादा है, आम आदमी की जान लेने के ऊपर आमादा है। ऐसे किसी कानून को मैं नहीं मानता। जय हिन्द जय भारत, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान।

(सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा समर्थन में नारेबाजी)

श्री महेन्द्र गोयलः जय हिन्द।

माननीय अध्यक्षः श्रीमान राघव जी। वो अभी अनुपस्थित हैं, श्री संजीव झा जी।

श्री संजीव झाः बहुत–बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी कि आपने आज मुझे ये जो कृषि के तीन बिल जो काले कानून हैं, उस पर चर्चा करने का मुझे मौका दिया।

अध्यक्ष महोदय, लगभग 18–19 दिन से किसान कड़ाके की ठंड में अलग–अलग बॉर्डर पर और कमोवेश पूरे देश में इस कानून का विरोध कर रहा है। हमने ये देखा जब ये तीनों बिल ऑर्डिनेंस के जरिए लाया गया। मैं ऑर्डिनेंस का मतलब ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में खोज रहा था तो मिला ऑर्डिनेंस का मतलब ही होता है; आथोरिटेटिव लॉ। एक ऐसा आप कानून थोप रहे हैं और एक ऐसे समय में जब पूरा देश कोरोना के कहर से जूझ रहा था तब लगा कि ऐसी आखिर सरकार की कौन सी मजबूरी थी कि ऑर्डिनेंस के जरिए एक ऐसा कानून बना रहे हैं जिससे इस पूरे देश के किसानों को लग रहा है कि मेरी किसानी छीनी जा रही है। तीन बिल पास किए गए। पहला बिल यह कहता है कि निजी मण्डी का प्रावधान होगा। अब इस देश में 85 परसेंट किसान लघु या सीमांत किसान हैं जिनके पास दो हैक्टेयर के करीब की ज़मीन है। अगर मान लीजिए कि कोई निजी मण्डी में जो लोग आयेंगे खरीदने के लिए तो छोटे–छोटे किसान कोई मोलभाव तो उनसे कर नहीं सकता है। दूसरा कानून जो है, अगर पहले कानून को जोड़कर देखिए आप तो दूसरा कानून यह कहता है कि कांट्रैक्ट फार्मिंग की व्यवस्था होगी यानी ज्यों ही निजी मण्डी आ जायेगा तो किसानों की मण्डी तो होगी नहीं तो किसान मजबूर होगा निजी मण्डी में जाकर अपना सामान बेचने के लिए और जब निजी मण्डी में सामान बेचने जायेगा तो एक तरफ अदानी जैसे लोग होंगे, दूसरी तरफ दो हैक्टेयर की ज़मीन का किसान होगा या फिर मोलभाव होगा, कैसे या कान्ट्रेक्ट होगा कैसे बेमेल कांट्रेक्ट है ये और उसमें भी आपने कह दिया कि अगर मान लीजिए कि आपको कांट्रेक्ट में दिक्कतें हैं, अड़चने हैं तो आप एसडीएम के कोर्ट में जायेंगे। डीएम के कोर्ट में जायेंगे। ये सारे सरकारी तंत्र हैं और सरकारी तंत्र किस तरह से सरकार द्वारा संचालित होता है, पूरा देश जानता है। तीसरा कानून कहता है और उसमें एक और मजे की बात है कि एमएसपी का प्रोविजन खत्म कर दे रहे हैं आप। जब एमएसपी के प्रोविजन को खत्म कर दे रहे हैं तो फिर औने–पौन दाम पर किसान बेचने को मजबूर होगा और मैं चूंकि

मैं, मेरा ओरिजिन बिहार है। बिहार से आता हूँ। बिहार में 2003 में मण्डी का प्रोविजन खत्म, व्यवस्था खत्म हो गया था। हमारे अभय वर्मा जी भी बिहार से आते हैं। बेहतर किसान हैं, पता होगा भी इनको भी और सच्चाई बतायेंगे आज सदन में। ये उम्मीद रखता हूँ कि इस बार धान बिहार के किसान को 900/–रूपये, 1000/– में बेचना पड़ा। जबकि जो एमएसपी वो 1950/– रुपये का है। मक्का का एमएसपी 1850/– अभी दो महीने पहले, तीन महीना पहले मक्के का फसल हुआ तो उसको 1000/– रुपये, 1100/– रुपये में बेचना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि निजी मण्डी है वहां। सरकारी मण्डी नहीं है वहां और इसी बात का डर जो किसान आज आन्दोलन कर रहे हैं, उनको भी है। तीसरा बिल ये कहता है कि असीमित भण्डारण का पॉवर आपके पास होगा। कोई भी आदमी असीमित भण्डारण कर सकता है। अब देखिए, बहुत बड़ा खतरनाक पहलू है ये कि असीमित भण्डारण के जरिए पूरे देश में , अभी एक प्रेस कान्फ्रैंस में अपने सीएम साहब का सुन रहा था। उन्होंने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया कि इस कानून के जरिए ये कहते हैं कि जब तक प्राइस दोगुना न हो, मान लीजिए कोई सरकार, कोई राज्य सरकार उसको कन्ट्रोल भी करना चाहे तो जब तक दोगुना प्राइस न हो तब तक आप छापामारी भी नहीं कर सकते। अगर कोई भण्डारण करके रखा भी हुआ है। अगर दोगुना प्राइस नहीं हुआ तो आप छापा भी नहीं मार सकते। तो फर्ज कीजिए कि 100 रुपये, 200 रुपये, अगले भी 400 रुपये का, 800 रुपये... तो सीएम साहब ने बताया कि सोलह गुना प्राइस चार साल में हो सकता है। तो न केवल इस बिल से किसान को नुकसान हो रहा है बल्कि इस बिल के जरिए इस देश का, जनता का, आम आदमी का नुकसान हो रहा है। महंगाई इतना हो जायेगा कि घर चलाना हमारा मुश्किल हो जायेगा। तो इसीलिए जब मैं ये तीनों कानून को एक साथ जोड़कर के देखता हूँ अध्यक्ष महोदय।

हम सब इतिहास में पढ़ते हैं चम्पारण का सत्याग्रह, गांधीजी का। क्या था वो? नील की खेती के विरूद्ध था। क्या नील की खेती में था? एकदम कोरिलेट कर दीजिए कि वहाँ भी नील की कान्ट्रेक्ट फार्मिंग था कि आपको, किसानों को नील की खेती करना आपको कम्पलसरी है। चूंकि कान्ट्रेक्ट था और फिर उसके बाद प्राइस डिक्टेट सरकार कर रही है और सरकार उत्पाद से नीचे प्राइस डिक्टेट कर रही है और

किसान को बेचने पर मजबूर कर रही है तो विरोध हुआ था। गांधी जी चम्पारण गये थे। इसके खिलाफ सत्याग्रह हुआ। फिर पूरे देश में आन्दोलन हुआ। आज कमोबेश ये तीनों कानून हैं। वही नील की खेती जिस तरह से किसानों को सताया जा रहा था, उसी तरह से किसानों को आज टॉर्चर किया जायेगा। इसलिए किसान वहाँ बैठा हुआ है। तो मेरा ये कहना है अध्यक्ष महोदय, कि किसान ये कह रहा है। क्या मांग थी किसान की कि आप एमएसपी को लीगल फ्रेम में डाल दीजिए। ये कानूनी बाध्यता बना दीजिए कि एमएसपी से नीचे अगर कोई परचेज करेगा तो उसको सजा होगा। सजा का प्रावधान कर दीजिए उसमें आप। ये लोग कह रहे हैं, नहीं, प्रधानमंत्री जी कह तो रहे हैं। प्रधानमंत्री तो बहुत सारी बातें बताई थी। प्रधानमंत्री ने तो ये भी कहा था कि काला धन आयेगा और इतना आयेगा कि वो 15 लाख हर घर में जायेगा। जीएसटी से ये देश स्वर्ग बन जायेगा। बहुत सारी बातें जो उन्होंने कही थी। वो तो हुआ नहीं। तो लोग भरोसा कैसे करें आप पर? तो इसीलिए देखिए ये जो कान्ट्रेक्ट तीनों बिल के जरिए आप प्राइवेट प्लेयर के हाथ में खेती को दे रहे हैं और ये जो प्राइवेट प्लेयर है, ये मार्केट फोर्सेज हैं और मार्केट फोर्सेज जो है, वो नफा और नुकसान से चलता है। वो वेल्फेयर के लिए नहीं बैठा हुआ है। सरकार, चैरिटी वेल्फेयर कर सकती है लेकिन प्राइवेट प्लेयर्स अपने प्रॉफिट–लॉस के लिए काम करेगा और जब अपने प्रॉफिट के लिए काम करेगा तो मैंने पहले ही कह दिया कि ये बेमेल कान्ट्रेक्ट है। किसानी जो है दिन–ब–दिन खत्म होती जायेगी और प्राइवेट प्लेयर मजबूत होता जायेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि आज कोरोना के काल में एक चीज पूरे देश को समझ में आया कि चावल, दाल, दलहन ये सबसे इम्पार्टेन्ट चीज है। ये रहेगा तो आप जिन्दा रह सकते हैं और जब सरकार ने आपने परचेज किया तो आपने चैरिटी के लोगों को खूब बांटा। आपने हम लोगों को खूब खिलाया। फर्ज कीजिए कि आज हमने सरकारी परचेज को खत्म कर दिया तो कल से उसका कोई आपदा अगर आती भी है तो फिर उस प्राइवेट प्लेयर के हाथ के पास जायेंगे हम। जो चीज दो रुपये का है, वो पांच रुपये का बेचेगा। चूंकि वो तो प्रॉफिट–लॉस के लिए काम कर रहा है। तो सरकार जो वेल्फेयर की बात करेगी, वो भी खत्म हो जायेगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये निहायत खतरनाक कानून है और इस कानून के जरिये किसानों की किसानी छीनी जा रही है। किसानों को लग रहा है कि हमारे जो

छोटे–छोटे खेत हैं। हमारे जो अपने फसल हैं, वो हमसे छीना जा रहा है और यही कारण है कि आज किसान अलग–अलग बॉर्डर पर, अलग–अलग सड़को पर सोया हुआ है। एक बहुत बड़े कवि थे धूमिल। धूमिल जी ने लिखा था कि '' एक आदमी जो रोटी बेलता है, वो है किसान। एक आदमी जो रोटी खाता है, वो है जनता और एक आदमी जो न रोटी बेलता है, न रोटी खाता है, वो सिर्फ रोटी से खेलता है ।'' आज मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि आखिर वो तीसरा आदमी कौन है? चूंकि संसद आज मौन है। संसद इस बात को बताने के लिए तैयार नहीं है। मैं एक चीज और देख रहा था अध्यक्ष महोदय, कि जब मैं देख रहा था कि ऑर्डिनेन्स लाया गया। हमने देखा कि एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट, राज्य सूची का विषय है। तो मैंने ये सोचा कि राज्य सूची के विषय में फिर केन्द्र ऑर्डिनेन्स कैसे ला सकता है? तो फिर हमने देखा कि उसमें ट्रेड एण्ड कॉमर्स जोड़ दिया गया ताकि ये कन्करेन्ट लिस्ट में आ जाये और फिर ऑर्डिनेन्स लाकर किसानों से आप किसानी छीन लीजिए। तो ये एक चेतावनी भी है। न केवल इस बिल के जरिए कि आज जरूरत पड़ेगी सरकार को तो इस संविधान को भी ताक पर रखकर के आपके लीगल राइट को छीन लिया जायेगा। आज अध्यक्ष महोदय, तीन डिग्री, दो डिग्री के टेम्परेचर में किसान वहां सोया हुआ है। हम अपने घर में आज हीटर लगाकर के बहुत सारे लोग अमीर लोग सोते होंगे। आज जो किसान अन्न उगाता है, वो सड़कों पर दो डिग्री, तीन डिग्री टेम्परेचर में सोया हुआ है और इसलिए सोया हुआ है चूंकि उनके पेट पर लात मारा जा रहा है। जब पेट पर लात मारा जा रहा है तो इस ठंड को भी बर्दाश्त करने के लिए वो तैयार है लेकिन जिस तरह का केन्द्र सरकार का अहंकार, प्रधानमंत्री जी का अहंकार दिख रहा है, इस पूरे सरकार का अहंकार दिख रहा है, ये अहंकार इस जनतंत्र के लिए कोई अच्छा इन्डीकेटर नहीं है और अध्यक्ष महोदय, लगातार मैं देख रहा हूँ कि 6 दौर की वार्ता हुई और उस वार्ता में किसानों को समझाने की कोशिश की जा रही है। मैं देख रहा हूँ कि पूरी सरकार और पूरी पार्टी, अलग–अलग किसान सम्मेलन किसान को समझा रहा है कि बिल के फायदे क्या हैं। किसान सब समझता है कि उसका फायदा कहां है, उसका नुकसान कहां है। किसान को समझाने की जरूरत आपको नहीं है और 6 दौर के वार्ता में आपने ये भी कहा कि इस कानून में कुछ कमियॉ हैं तो जब कमियॉ आप मान रहे हैं तो वापस क्यों नहीं ले रहे हैं आप? मैं एक

बात दावे से कहकर अपनी बात खत्म करूंगा अध्यक्ष महोदय, कि ये कानून आज जो अन्नदाता इस सड़क पर विरोध कर रहे हैं और सरकार जो किसान से बातचीत करने का दिखावा कर रही है, ये वास्तव में केवल बातचीत दिखावा है। गुपचुप में बातचीत तो कहीं और हो रही है और वो बातचीत हो रही है जो इस सरकार के अन्नदाता हैं। मैं दावे से कह रहा हूँ कि जिस दिन इस सरकार के अन्नदाता उद्योगपति मान जायेंगे, जिनके दबाव में ये बिल लाया है, अगले दिन सड़क पर जो किसान सोये हुए हैं अन्नदाता, उनकी बात मान ली जायेगी। तो मुझे ये लगता है कि आज जब हम लोग यहां इस सदन में बहस कर रहे हैं तो पूरा देश ये देख रहा है कि आज हम सब लोग वास्तव में ये सदन और इस सदन के जरिए देश, दिल्ली पृथ्वीराज चौहान के साथ है या जयचन्द के साथ है। तो मुझे ये लगता है कि हम सब लोग और खासकर मैं अपने दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय अरविन्द केजरीवाल जी का धन्यवाद इसीलिए करता हूँ कि इन्होंने कहा कि एक सेवादार बनकर के हम सबको जो किसान इस देश का अन्नदाता आये हुए हैं, उनका सेवा करना है, उनके साथ खड़ा रहना है और बहुत सारे हमारे विधायक साथी खासकर के मैं महेन्द्र गोयल जी का विशेष धन्यवाद दूंगा कि लगातार 18 दिन से दिन–रात वहीं रह रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि जो अन्नदाता यहां आये हैं, उनको किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े और मैं उम्मीद करता हूँ...

माननीय अध्यक्षः संजीव जी, कन्क्लूड करिए प्लीज।

श्री संजीव झाः और मैं उम्मीद करता हूँ केन्द्र सरकार से कि अपने अहंकार से दूर होकर के किसानों की मांग को मानकर के इन तीनों बिल को वापस लेंगे। बहुत–बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः बहुत–बहुत धन्यवाद। श्री अजेश यादव जी। अजेश यादव जी। श्रीमान

सोमनाथ जी।

श्री सोमनाथ भारती: अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस बहुत ही सेन्सिटिव मुद्दे पर बोलने का मौका दिया।

अध्यक्ष महोदय, पिछले बीस दिन से देश के किसान परेशान हैं और तरह–तरह की बातें की जा रही हैं। कह रहे हैं, हम बातें कर रहें हैं। बात करना चाहते हैं। हम किसानों की दुविधा को मिटाना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, जो तीन कानून बनाया गया... बड़े ध्यान से सुन रहा था अपने साथियों को उन्होंने कुछ बातें तो मेन्शन की। मैं उन कानूनों को उन प्रावधानों के उपर अपने वक्तव्यों को रखूंगा जो कि इस वक्त सभी के लिए मुसीबत बना हुआ है अध्यक्ष महोदय। मैं सीधा आपको ले चलूंगा एक जिनका एक कानून the farmers produced trade and commerce promotion and facilitation bill 2020. जो एक्ट बन गया है। दूसरी इम्पार्टेन्ट बात जो संजीव भाई ने बतायी, 05 जून, 2020 का तिथि है और जब पूरा देश जूझ रहा था कोविड से। जब केजरीवाल जी और पूरी सरकार लगी हुई थी कोविड को ठीक करने में जो स्थिति दिल्ली में पैदा हुई थी। जब देश के अन्दर लाखों मजदूर साथी सड़कों पर जा रहे थे। पैरों में छाले पड़े थे तब माननीय मोदी जी क्या कर रहे थे? 5 जून उस वक्त पूरा देश में सदमे में था। माननीय मोदी जी उस वक्त अडानी और अम्बानी के दलाली कर रहे थे अध्यक्ष महोदय। ये कानून तब लाया गया जब इस देश को जरूरत कुछ और थी। 5 जून आर्डिनेन्स के जरिए जबकि इनके पास फुल पॉवर है पार्लियामेन्ट के अन्दर। इनके पास शक्ति है लोक सभा के अन्दर। राज्य सभा भी मैनेज कर लेते हैं ये। उस वक्त लाया गया। क्या जरूरत थी? इस एक सवाल का जवाब अगर भाजपा और मोदी दे दें, देश शान्त हो जायेगा। इसी एक सवाल के अन्दर सारे जवाब हैं अध्यक्ष महोदय। ये तीनों कानून जो लाये गये, किसके लिए लाये गये? क्यों लाये गये? किसके कहने पर लाये गये? किसानों ने बड़े आराम से पूछा। भई किसने मांग की थी। कौन समस्या का समाधान करने लाये थे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको सीधा ले चलूंगा इस एक्ट के उस प्रोविजन में जो कि आपको ब्योंड रीजनेबल डाउट सिद्ध कर देता है कि ये किसके लिए बनाया गया है।

अध्यक्ष महोदय, इस एक्ट का जो farmers produce trade and commerce promotion wnd facilitation bill जो एक्ट बन गया, उसका सेक्शन 13 कहता

है। अध्यक्ष महोदय, ये कहता है कि No law suit, prosecution or other legal proceedings shall

lie against the central govt. or the state govt. or any officer of central govt. or state govt. यहां तक तो ठीक था उसके बाद कहता है, or any other person in respect of anything ये एनी अदर परसन में कौन आ रहा है or any person in respect of anything which is in good faith done or intended to be done under this act or of any rules or orders made there under. ऐसा प्रोविजन आलमोस्ट सबमें रहता है लेकिन उसमें रहता है कि ये सरकार के खिलाफ ही नहीं लाइ करेगा। लेकिन इसमें इन्क्लूड कर दिया है, ये ध्यान देने वाली बात है साथियों को भी समझ में आना चाहिए। कहता है और No legal proceedings it will lie against any other person. चाहे प्राइवेट हो, चाहे पब्लिक हो in respect of anything. ये कह दिया। तो साफ–साफ प्रोटेक्शन दे रहे हैं। किसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं जो इनके चुनावों के खर्चे को अफोर्ड करते है, जो इनके लिए बड़े–बड़े सौ–सौ करोड़ के स्टेज बनाते हैं अध्यक्ष महोदय। जिनके लिए 5 जून, 2020 को जब देश जूझ रहा था तब ये दलाली कर रहे थे अडानी और अंबानी की उसके लिए कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, फिर सेक्शन–15 कहता है, No civil court shall have jurisdiction to entertain any law suit or proceedings in respect of any matter the cognizance of which can be taken and disposed of by any Authority empowered by or under this Act or the rules made there under. तो कोर्ट का भी एक्सक्लूजन कर दिया, मतलब किसान in fact this is very interesting *kyoinki* quality can only be discussed among equals. ये इन्होंने ला के बराबर कर दिया कि किसान अब जूझ लेंगे, एसडीएम कोर्ट चले जाएंगे, जूझ लेंगे जाकर के। तो एक तरफ तो अडानी है और बड़ी इन्ट्रेस्टिंग वो परसों खबर आ रही थी कि सौ एकड़ की जमीन, नथोला–नथोला है ना हरियाणा में जहां अभी हुआ है। सौ एकड़ की जमीन 2017 में किसानों से धोखेधड़ी से ली गई अडानी के द्वारा। पूरी हरियाणा सरकार खड़ी है, तो 2017 में जब ली गयी, शुरूआत की गई और बीस में कानून बनाते हैं इसका मतलब पूरी कॉन्सप्रेसी है।

अध्यक्ष महोदय, जिस व्यक्ति ने इस देश को धोखा दिया कि भारत माता की रक्षा करने आए हैं। उस व्यक्ति ने एक–एक करके सब कुछ बेच डाला और जब हाथ रखा फार्मर्स के ऊपर तो नैचुरल सी बात है भारत कृषि प्रधान देश है और कृषि जो है, जो कृषक हैं, जो पंजाब, हरियाणा और अन्य राज्यों में कृषक हैं, वो शांति से नहीं बैठने वाले।

अध्यक्ष महोदय, 5 जून को ओर्डिनेंस लेके आए, 14 सितम्बर, 2020 को पार्लियामेंट में इसको लॉ बनाने के लिए लेके आए। तो सबने देखा पूरे हिंदुस्तान ने देखा, ये जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान दिया हुआ है, इस संविधान की कैसे धज्जियॉ उड़ाई इन्होंने। जब सदन के अंदर आपके यहां भी, जब कोई मांग ले कि भई हमको तो वोटिंग कराना है तो वोटिंग कराना पड़ेगा। लेकिन आनन–फानन में ध्वनिमत से पास करा दिया, हमारे सारे संजय सिंह जितने भी संसद के अंदर बैठे हुए थे, सबने बातें रखी, किसी ने ना सुनी और आनन–फानन में इन तीनों काले कानूनों को, काले बिलों को कानून का रूप दे दिया गया और 27 सितम्बर को महामहिम राष्ट्रपति ने साइन कर दिया, फिर कूनन बन गया ये। अध्यक्ष महोदय, इस देश में बोलने वाला कौन है? इनके पास सबकी फाइल हैं, कैप्टन अमरेंदर पंजाब के मुख्य मंत्री ने पहले जब बोलने का प्रयास किया, वैसे तो जो केजरीवाल साहब ने कहा, वैसे उन्होंने कंसेंट दे रखी थी अकालियों के मंत्री ने भी कंसेंट दे रखी थी, जब पोल खुल गई तो बाद में कहता है, हम इसके अपोजिशन में खड़े होंगे। तो हाथी के दांत दिखाने के और, और खाने को और हैं। पहले कोहबर में बैठकर के आपने साथ दिया, किसानों के खिलाफ कोंसप्रेंसी रची और जब थोड़े से बोले, लगा बोलना तो पड़ेगा, 27 अक्टूबर, 2020 को केंद्र सरकार ने कैप्टन अमरेंदर जी के बेटे को ईडी का सम्मन भेज दिया, जब सम्मन भेजा **ोजा**तो दौड़े–दौड़े आए, किसके पास आए, माननीय अमित शाह जी के पास, बोले, ''भइया, हमको माफ करो। हम किसानों के साथ नहीं खड़े होंगे। माफ कर दो, कृपया करके ये सम्मन–वम्मन जो भेजा है, उसको वापस ले लो।'' लेकिन जब केजरीवाल जी ने पहले दिन से.. बड़ा जिगरा चाहिए आज की तारीख में, मतलब मैं तो कहता हूँ कि बार–बार मोदी मौका देते हैं हमें कि अपना हम स्वच्छता स्थापित कर सकें। जैसे ही केजरीवाल जी को कहा कि भई नौ स्टेडियम दे दो, उन्होंने देख

लिया और हमारे अपने दिन सारे स्ट्रगल के हैं, उनके सारे संघर्ष के दिन गुजरे और परमात्मा उनको और शक्ति दे आज तक उनका जो जिगरा पहले का था और कई गुणा बढ़ा ही है, घटा नहीं है।

ये तो हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे नेता, हमारे मुख्य मंत्री ने बार–बार उस चीज का परिचय दिया जिसकी कि हम सब एक तरह से लालसा रखते हैं कि भई हमारा नेता 24 कैरेट सोने से भी बेहतर है। अध्यक्ष महोदय, जब उन्होंने 9 स्टेडियमों का कहा जेल बना दो, तब माननीय केजरीवाल साहब ने पैर रख दिया और कहा कि ये अंगद का पैर है, अब ना उठ रहा। मैं ना बना रहा। तुम जो चाहे कर लो, जब कि उनको मालूम था कि दिल्ली अधूरा राज्य है इनका साथ बार–बार हमें लेना पड़ता है। लेकिन मैं सलाम करता हूँ उस शख्स को जिसने किसानों के फेवर में अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया सर। सब कुछ दांव पर लगा दिया और कहा कि नहीं बनाते जेल और उल्टा क्या किया सबको बुलाया और बोला कि भइया, जाओ वहां, जहां पर किसानों को रोक लिया इन लोगों ने। जाओ बगैर टोपी के, बगैर पट्टे के, बगैर बताए कि तुम विधायक, सांसद है कि पार्षद है, कि किस पार्टी से है, सेवादार बन के सेवा करो। इतिहास लिखा जाएगा जब देखा जाएगा, वैल्युएट करेंगे इतिहासकार।

अध्यक्ष महोदय, जब सब पार्टियों की सिट्टी–पिट्टी गुम थी, जब कैप्टन अमरेंदर की सिट्टी–पिट्टी गुम थी तो केजरीवाल की तरफ पूरा देश देख रहा था कि किस तरफ जाता है ये फ्रीडम मूवमेंट। ये फार्मर्स का फ्रीडम मूवमेंट अध्यक्ष महोदय। ये किसानों का जो, मुझे लगता है कि उनके जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई है ये, क्योंकि आज पूरी फार्मिंग आज एक तरह से खतरे में है। जो क्रोनी कैपिटलिज्म जो मित्र हैं माननीय मोदी जी के उनके हाथ जाता है कि नहीं जाता है। तो दो सप्ताह पहले जो ये जो आदेश दिया था, उसके बाद फिर एक मौका आया जब केजरीवाल जी अकेले वो शख्स हैं, जो गए वहां पे और जाकर के कहा कि मैं सेवादार के रूप में आया हूं, मैं सीएम के रूप में नहीं आया हूँ, गुरू साहबान उनको आशीर्वाद दें, कार सेवादार के रूप में आया हूँ और कहा कि भइया, जो कोई भी कमी है बताओ और जिस दिन वो वहां गए, अगले दिन उनके घर के आगे दरवाजे के आगे आके बैठ

गए मेयर सारे। और अगले दिन जब हमारे साथियों ने कुछ दिनों के बाद प्रयास किया कि जाके अमित शाह के घर जाके बाहर बैठें, एलजी के गेट के बाहर जाके बैठें तो देश में दो कानून हो गया। एक सीआरपीसी तुम्हारे लिए, एक हमारे लिए। तुम्हारे सीआरपीसी में लिखा है कि तुम जाके बैठ सकते हो, केजरीवाल जी के घर के बाहर। गेट को तुमने ब्लॉक कर दिया और जब हमने प्रयास किया तो हमारे साथियों को सबको घर से उठा लिया गया। सबको डर एक ही बात का है केजरीवाल जी की ईमानदारी का डर है, केजरीवाल जी ने जिस तरह से किसानों को समर्थन दिया, किसानों के आंदोलन का साथ दिया।

माननीय अध्यक्षः सोमनाथ जी कन्क्लूड करिए प्लीज।

श्री सोमनाथ भारतीः उससे मोदी को बहुत खतरा और मोदी को लग रहा था कि केजरीवाल साथ देंगे, इनके आंदोलन को खत्म करने में, लेकिन उल्टा हुआ अध्यक्ष महोदय।

माननीय अध्यक्षः कन्क्लूड करिए। नहीं, अब कन्क्लूड करिए सोमनाथ जी।

श्री सोमनाथ भारतीः मैं एक बात ओर... चूंकि वो संजीव ने छेड़ा तो था कि जो ये कानून बनाया गया आनन–फानन में, मैं देख रहा था कि इसमें जो संविधान का प्रावधान है, इसमें तीन लिस्ट होता है, लिस्ट वन जो सैंटर का लिस्ट है, लिस्ट टू जो स्टेट का लिस्ट है और लिस्ट थ्री जो कन्करण्ट लिस्ट है। इसमें जिन प्रावधानों के अंतर्गत ये कानून बनाया गया जो आपका एक लॉ इनका प्राइस एश्योरेंस ऐण्ड फार्म सर्विस ऐक्ट के अंतर्गत लॉ बनाया गया, वो एंण्ट्री 14, 18 और 46 की एण्ट्री है स्टेट लिस्ट की और एक एण्ट्री 60 जो कन्करट लिस्ट की है, एक भी आइटम लिस्ट वन का नहीं है। इन्होंने स्टेट के पॉवर्स के ऊपर असर किया है, इन्होंने फैडरल स्ट्रक्चर जो सरकार का है जो संविधान देता है, जो बाबा साहब का दिया हुआ है, उसको इन्होंने खंडन किया अध्यक्ष महोदय। इन्होंने जो एक एक्ट बनाया; फार्मर्स प्रोड्यूस टेड ऐण्ड कॉमर्स प्रोमोशन फैसिलिटेशन ऐक्ट, वो एण्ट्री 28 का है, लिस्ट टू जो स्टेट लिस्ट है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बार–बार कहा है... एक बिहार वर्सेज कमलेश्वर सिंह जो जजमेंट था, उसमें पॉवर ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन का

मुद्दा उठा था और कहा था, "Which cannot be done directly, cannot be done indirectly also." तो इस सरकार ने न संविधान की लाज रखी, न देश की लाज रखी, न फार्मर्स की लाज रखी, न पूरे देश की जो स्वायत्तता है, उसकी लाज रखी। तो ये कर क्या रहे हैं? इनकी एकमात्र दलाली हर तरफ से, हम सब साथियों को शर्म आती है जब देखते हैं कि एयरपोर्ट पे क्या लिखा है, अडानी एयरपोर्ट। अडानी एयरपोर्ट लग रहा है ईस्ट इंडिया कम्पनी हो गया ये देश।

माननीय अध्यक्षः सोमनाथ जी, कन्क्लूड करिए अब प्लीज।

श्री सोमनाथ भारतीः एक मिनट ओर लूंगा अध्यक्ष महोदय। ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के तरह हर चीज हवाले किए जा रहे है, हर कुछ एयरपोर्ट भी अडानी का, रेलवे भी अडानी का, अंबानी का। 1965 में जब माननीय हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने उस वक्त पंजाब के किसानों को कच्छ भेजा था कि भई जाकर के वहां स्थिति ठीक करो। जब उन्होंने स्थिति ठीक कर दी तो जब मोदी जी सीएम थे, उस वक्त उनको वहां से भगाना चाहा, वो लोग हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने उनके फेवर में जजमेंट दिया, फिर माननीय मोदी जब पीएम बन गए उस मामले को सुप्रीम कोर्ट में लेके आए कि भई पंजाब के किसान गुजरात में न रहे, ये कहते हैं, हम किसान के सहभागी हैं, किसान के हित सोचने वाले साथी हैं। अध्यक्ष महोदय मैं आज जो एक तीसरा कानून है, भंडारण की लिमिटेशन कर दिया।

माननीय अध्यक्षः सोमनाथ जी बोल दिया, सोमनाथ जी, प्लीज।

श्री सोमनाथ भारतीः और मैं अभी आपके सामने तीनों एक्ट फाड़ूंगा, चूंकि मैं इसके विरोध में हूँ, मैं इससे बहुत आहत हूँ, किसान रो रहा है और ये प्रधानमंत्री हंस रहे हैं, अमित शाह हंस रहे हैं। इनको पंजाब के किसानों की चिंता नहीं है, हरियाण ा के किसानों की चिंता नहीं है, इनको बंगाल में चुनाव जीतना है, उसकी चिंता है, ये क्रोनी कैपिटलिस्ट का साथ ले रहे हैं, खरबों, करोड़ों ले रहे हैं जिससे की वो चुनाव लड़ सकें।

माननीय अध्यक्षः सोमनाथ जी, प्लीज कन्क्लूड करिए।

श्री सोमनाथ भारती: अध्यक्ष महोदय, ये कानून सिर्फ किसानों का हित नहीं है, ये कानून अहित है सभी का, पूरे देश का अध्यक्ष महोदय। मैं एक–एक करके फाड़ दूंगा। ये वो कानून है जिसमें कहता है, 'भंडारण असीमित है।'

माननीय अध्यक्ष: हो गया सोमनाथ जी, प्लीज।

श्री सोमनाथ भारती: ये भंडारण असीमित वाला कानून को मैं यहां फाड़ करके मोदी जी को बताना चाहता हूँ कि (कुछ कागजात फाड़ते हुए) ये अहित नहीं चलेगा, ये भारत माता की बेइज्जती नहीं चलेगी अध्यक्ष महोदय। दूसरा कानून भी फाड़ के बता रहा हूं, ये अहित नहीं चलेगा मोदी जी। ये केजरीवाल के साथी हैं। आपके तोता, मैना, सुग्गा से नहीं डरते हैं, लगा देना जितना लगाना हो, सत्येन्द्र भाई हँस रहे हैं कि लगाया था उनके पीछे तोता, मैना, सुग्गा। क्या–क्या लेके आ गया साथियो! ये आप ही की ताकत है, हिंदुस्तान में किसी ओर पार्टी की ताकत नहीं है जो इतनी हिम्मत दिखाए कि मोदी के सामने सच रख सके।

मैं अपने सभी साथियों का धन्यवाद करता हूँ और कहता हूं, अपने केजरीवाल साहब को परमात्मा बहुत लम्बी उम्र दे, बहुत अच्छा स्वास्थ दे, भारत में असली आजादी लेके आएंगे केजरीवाल, ये केप्टन अमरेंदर से कुछ नहीं हो रहा साथियो। आपका बहुत–बहुत धन्यवाद, जय किसान, जय जवान, भारत माता की जय, जय हिन्द।

माननीय अध्यक्ष: धन्यवाद, श्री मोहन सिंह जी बिष्ट।

श्री मोहन सिंह बिष्ट: आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने जिस प्रकार से कृषि बिल पर चर्चा करने के लिए, मेरे को आमंत्रित किया, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। वास्तव में अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से सरकार की करनी और कथनी में कितना बड़ा अंतर है, इस कृषि बिल के लिए इसपे चर्चा करने के लिए तो समय सरकार निकालती है, ठीक बात है लेकिन आज नगर निगम के तीनों मेयर वहां स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन, वहां पर अन्य पदाधिकारी, आज 13–14 दिन से बैठे हुए हैं, पाँच मिनट का समय नहीं निकला सरकार को... इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी बात।

...(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह बिष्टः अरे भई आप सुनने का माद्दा रखो, आप सुनने का माद्दा रखो, अध्यक्ष महोदय, ये विधान सभा का सत्र जिस प्रकार से बुलाया गया, सर, हमने किसी को इंटरफरेंस नहीं किया, अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्षः मैं रोक रहा हूँ। बैठिए, बैठिए।

श्री मोहन सिंह बिष्टः हम सम्मान करते हैं आपकी चेयर का।

माननीय अध्यक्षः उनको बोलने दीजिए।

श्री मोहन सिंह बिष्टः सर, ये सब परेशान हो चुके हैं, ये सरकार कृषि बिलों के नाम से आज जिस प्रकार से यहां पर एक झूठा ढोंग रच रहे हैं। अरे! केजरीवाल को समझा दो। देखिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं रोक रहा हूँ।

श्री मोहन सिंह बिष्टः देखें, ये सरकार कुंभकर्ण की तरह सोई हुई सरकार है। ये सरकार को नजर नहीं आ रहा दिल्ली के अंदर क्या हो रहा है। और अध्यक्ष महोदय।

माननीय अध्यक्षः एक सेकण्ड रुकिए जरा। भई, दो मिनट रुकिए।

श्री मोहन सिंह बिष्टः ये बिल कोई आज नहीं आया सर।

माननीय अध्यक्षः मैं रोक रहा हूँ न उनको, मैं रोक रहा हूँ उनको।

...(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह बिष्टः शर्म आनी चाहिए इस सरकार को। इस सरकार को।

माननीय अध्यक्षःमैं अभी मैं रोक रहा हूँ।

श्री मोहन सिंह बिष्टः इस सरकार को शर्म आनी चाहिए।

माननीय अध्यक्षः चलिए, आप बोलिए। मैं रोक रहा हूँ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मैं रोक रहा हूँ।

श्री मोहन सिंह बिष्टः ये सरकार।

माननीय अध्यक्षः भई आप जरा चुप हो जाए सभी सदस्य, माननीय सदस्य।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः दो मिनट रुकिए बिष्ट जी, दो मिनट रुकिए। एक सेकण्ड, एक सेकण्ड रुक जाइए प्लीज, एक सेकण्ड रुक जाइए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः भई बैठ जाइए आप, कहने दीजिए उनको। जो करना चाह रहे हैं। करने दीजिए आप बैठ जाइए प्लीज, प्लीज।

श्री मोहन सिंह बिष्टः सर, शर्म तो आनी चाहिए इस सरकार को। दिल्ली की चिंता नहीं है इस सरकार को। दिल्ली के अंदर क्या हो रहा है, उसकी चिंता नहीं की है और।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः ऋतुराज जी, प्लीज।

श्री मोहन सिंह बिष्टः ये दिल्ली के लोगों का ध्यान बांटना चाहते हैं।

माननीय अध्यक्षः इनको बोलने दीजिए जो बोलना चाह रहे हैं।

श्री मोहन सिंह बिष्टः मैं इस सरकार से जानना चाहता हूँ सर, जिस प्रकार की ये सरकार की नीति...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षःभई बोलने की बारी आएगी तो अपना जवाब देंगे।

श्री मोहन सिंह बिष्टःइस सरकार की नीति।

माननीय अध्यक्षः अपने साथियों की बोलने की बारी आएगी, इनकी बात का जवाब दीजिए तरीके से।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मोहन सिंह जी हो गया। आप शांत बैठिए ना, अब आपकी तरफ से हो रहा है। उनको मैंने शांत कर दिया है सबको।

श्री मोहन सिंह बिष्टः नहीं, बिल्कुल नहीं, सही कहा मैंने।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः सबको शांत कर दिया मैंने, मैंने सबको शांत किया है, अब आप नहीं बोलने दे रहे उनको।

श्री मोहन सिंह बिष्टः मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ।

माननीय अध्यक्षः देखिए।

श्री मोहन सिंह बिष्टः मैं तथ्यों के आधार पर बोल रहा हूँ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षःअखिलेश जी, अगर आप चुप नहीं बैठेंगे मुझे मजबूरन...

...(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह बिष्टः केजरीवाल, दिल्ली का 13 हजार का बजट।

माननीय अध्यक्षः नहीं, अब वो शांत बैठे हैं ना। अब वो शांत बैठे हैं। अब वो शांत बैठे हैं ना।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी (माननीय नेता प्रतिपक्ष): हम फ्रुटफुल डिस्कशन

चाहते हैं।

माननीय अध्यक्षः तो फ्रुटफुल... देखिए, बिधूड़ी साहब।

श्री मोहन सिंह बिष्टः ये विभिन्न प्रकार के आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं।

माननीय अध्यक्षः आप जवाब दीजिए।

श्री मोहन सिंह बिष्टः हमने शांति से सुना।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः एक सेकण्ड, आप बैठिए प्लीज। प्लीज बैठिए बिधूड़ी जी, बैठिए प्लीज। मैं सभी माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूँ कि वो अपनी बात रखेंगे उसके बाद हमारे स**त्ता पक्ष के सदस्यों की** बारी आएगी, वो उनका उत्तर दें। सदन शांतिपूर्वक चल रहा है बिधूड़ी जी, उसको शांतिपूर्वक चलने दें, मर्यादा बना के रखें, उनको जो बोलना है बोलने दीजिए। हम शोर न मचायें, हमें अधिकार है पूरा उत्तर देने का। एक एक शब्द नोट करें बारी आएगी, अभी हमारे सदस्यों की भी बारी आ रही है सत्ता पक्ष के, वो अपना उचित उत्तर दें उसका। धन्यवाद। अब उनको बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं बिधूड़ी जी, आप अब मैंने बोल दिया है। अब उनको बोलने दीजिए प्लीज।

श्री मोहन सिंह बिष्टः आदरणीय अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्षः अब कोई नहीं बोलेगा मैं प्रार्थना कर रहा हूँ।

श्री मोहन सिंह बिष्टः आदरणीय अध्यक्ष जी।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः उनको बोलने दीजिए जो बोल रहे हैं।

श्री मोहन सिंह बिष्टः जिस प्रकार से कृषि कानून के नाम से दिल्ली सरकार की मंशा में कितना बड़ा षडयन्त्र है, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। दिल्ली सरकार जब ये बिल केन्द्र द्वारा इस स्टेट के अंदर भी इस पे चर्चा हुई, तब ये सरकार कहां सो गयी थी? तब सरकार ने उसके बारे में क्यों नहीं चर्चा की, तब उसका विरोध क्यों नहीं किया? लेकिन अध्यक्ष महोदय, पंजाब और उत्तर प्रदेश आदि स्टेटों में चुनाव सामने नजर आ रहा है और यदि वास्तव ये इतने ईमानदार लोग थे, मैं सिर्फ दिल्ली की चर्चा करूंगा। दिल्ली के बारे में आज तक दिल्ली के किसानों को किसानी का दर्जा नहीं दिया गया। अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, जो बिजली... अरे छोड़ो।

...(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह बिष्टः सर, सर।

माननीय अध्यक्षः माननीय मंत्री जी।

...(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह बिष्टः मजाक कर रहे हैं, मूर्ख बना रहे हो। सर, सर।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः कैलाश जी।

श्री मोहन सिंह बिष्टः सर, मंत्री जी, आपने कुछ नहीं किया।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः कैलाश जी।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः कैलाश जी।

श्री मोहन सिंह बिष्टः अध्यक्ष महोदय, इन्होंने।

माननीय अध्यक्षः माननीय मंत्री जी, देखिए एक सेकण्ड। एक सेकण्ड संजीव जी,

बैठिए, बैठिए। माननीय मंत्री जी, एक सेकण्ड भई, एक सेकण्ड प्लीज।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः भई अगर ये बात करनी है तो समय बढ़ा देता हूँ।

...(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह बिष्टः मेरी बहन, समझ लो, शांत हो जाओ। जब सच्ची बात होती है तो कड़वी लगती है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः राखी जी, प्लीज।

श्री मोहन सिंह बिष्टः जब पंजाब में चुनाव हो रहा था, तुम्हारे घोषणा पत्र में क्या लिखा था? बताओ, क्या लिखा था उस घोषणा पत्र पे? तब तुम्हें सांप क्यों सूंघ गया । तुम्हें सांप सूंघ क्यों गया और तुम से जोर से बोलना जानते हैं हम। और सुनिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः सोमनाथ जी, बैठ जाइए, सोमनाथ जी। सोमनाथ जी, ये ठीक नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह बिष्टः बिजली हाफ, पानी माफ। अरे! किसानों का पैसा है, किसानों का। एक भी बिजली का कनेक्शन आज तक नहीं दिया गया। अध्यक्ष महोदय, हमने सदन की मर्यादा को भी देखा है। बहुत अच्छी तरह से हम जानते हैं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः देखिए, माननीय सत्ता पक्ष के... ऋतुराज जी, मैं माननीय सत्ता पक्ष के सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूँ, अगर उनके किसी भी प्रकार के... ऋतुराज जी, दो मिनट रुक जाइए, बैठ जाइए। ऐसे सदन नहीं चलेगा।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः ऐसे सदन नहीं चलेगा। आप बैठ जाइए। ऋतुराज जी, बैठिए। आप नहीं रोक सकते।

श्री मोहन सिंह बिष्टः अरे! हम करेंगे, तैयार होके आए हैं हम,। हम तैयार बैठे हैं। आप किसी भी विषय पर चर्चा करिए, ये खुले मन से। अध्यक्ष महोदय।

माननीय अध्यक्षः किसी माननीय सदस्य को ये लगता है कि उनकी बयानी में ये गलत चीज हुई है हमारे सदस्य जो बाद में बोलने वाले हैं, उनको लिख के देना है। मैं माननीय मंत्री जी से खास तौर पे आग्रह कर रहा हूँ जो आपने बात कही, अभी उसके बाद गोपाल जी बोलने के लिए आएंगे, उनको लिखित में दे दो। नहीं, ऐसे नहीं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः वो गोपाल जी को लिख के दो, गोपाल जी उत्तर देंगे।

माननीय राजस्व मंत्री **(** श्री कैलाश गहलोत**)**: हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे बिल्कुल।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः गोपाल जी, प्लीज। आप बीच में प्लीज न बोलें।

माननीय मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, एक चीज बताइए। ये इस।

...(व्यवधान)

माननीय राजस्व मंत्री (श्री कैलाश गहलोत): रिस्पांसिबल मेंबर हैं। अगर दिल्ली सरकार ने, ये कह रहे हैं, किसान नहीं है, ये कह रहे हैं किसान नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूँ सदन से, मैं सदन से पूछना चाहता हूँ कि अगर दिल्ली सरकार ने मुआवजा दिया, किसानों को दिया कि नहीं दिया? जिसने फसल उगाई तो जिसका नुकसान हुआ, उसको दिया या नहीं दिया। इतना बड़ी झूठ ये इस सदन के सदस्य होने के बावजूद कैसे कह सकते हैं! शर्म आती है आप पे! बैठ जाओ।

...(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह बिष्टः अरे! मैं तुम्हारे कहने से बैठूंगा नहीं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः ऋतुराज जी, ऋतुराज जी, ये सदन नहीं चल सकता ऐसे।

श्री मोहन सिंह बिश्टः हम जानते हैं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः ऋतुराज जी, बैठ जाइए, ऋतुराज जी।

श्री मोहन सिंह बिष्टः अध्यक्ष महोदय, एक तो।

माननीय अध्यक्षः ऋतुराज जी, आप बैठ जाइए पहले नीचे। बड़ा अच्छा चल रहा था आपने सारा गड़बड़ किया है। बैठ जाइए आप।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः अखिलेश जी, आप मानेंगे नहीं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः आप बैठ जाइए ऋतुराज जी।

...(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह बिष्टः सर, एक तो इसको बोलिए, ये आराम से बोले, तमीज सीखे। इनको बोलने की तमीज नहीं है।

माननीय अध्यक्षः देखिए, मोहन सिंह जी।

श्री मोहन सिंह बिष्टः अध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ इनको।

माननीय अध्यक्षः आप व्यक्तिगत लांछन लगाएंगे तो ठीक नहीं होगा। मैं दूंगा मौका,

मुझे मालूम है। लेकिन मोहन सिंह जी बात कह रहे हैं।

श्री मोहन सिंह बिष्टः मंत्री जी से बात हो रही है। आपका क्या है आप मंत्री के स्तर पर नहीं हैं तुम्हारा स्तर। तुम्हारा स्तर मंत्री जितना नहीं है। इसलिए वो मंत्री बोलें।

...(व्यवधान)

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से केवल इतना कहना चाहता हूँ।

...(व्यवधान)

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः अरे भाई, रुक जाओ। एक मिनट, भई एक मिनट।

...(व्यवधान)

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः मैं इतना आपसे आग्रह कर रहा हूॅ आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे इतना आग्रह कर रहा हूँ कि।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः अखिलेश जी, आप बैठेंगे नहीं? आप शांत नहीं बैठ सकते।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः आदरणीय अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्षः मुझे समझ नहीं आता ऋतुराज जी क्या हो गया है आज? इतना बढ़िया सदन चल रहा था, इतना बढ़िया सदन चल रहा था, क्या दिक्कत है? उनको बोलने दीजिए जो बोलना चाहें, बोलने दीजिए। सदन चल रहा था इतना बढ़िया।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः अध्यक्ष जी, मेरा इतना सा आपसे आग्रह है कि रूलिंग पार्टी के तीन ऑनरेबल एमएलएज बोले, कुछ भी उन्होंने हमारे उपर, हमारी लीडरशिप के उपर आरोप लगाया, हमने बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से उसको सुना। जब हमारी बारी आएगी हम अपनी बात को रखेंगे। अब हम रखने की कोशिश कर रहे हैं तो बोलने नहीं दिया जा रहा, पूरे हाउस को डिस्टर्ब किया जा रहा है, ये ठीक नहीं है

अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्षः बंदना जी, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः मैं पहली विधान सभा का भी मेंबर था लेकिन ऐसी स्थिति।

माननीय अध्यक्षः सदन बिल्कुल ठीक चल रहा था, सब माननीय सदस्यों ने अपनी बात ठीक ढंग से रखी।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः हां, आप उसका हमारी तरफ से कोई गलत आरोप लगाया जाए और।

माननीय अध्यक्षः आपने सत्ता पक्ष के सदस्यों ने शांतिपूर्वक बात रखी। नहीं, मुझे त्रिपाठी जी, ठीक नहीं लग रहा आपका रवैया। मैं बहुत ठीक।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः इतनी हमारी प्रार्थना है कि हाउस को।

माननीय अध्यक्षः ये तरीका नहीं है ये। अपनी सदस्यों की बात बड़े अच्छे ढंग से रखी गयी।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः अपनी बात रखने का अवसर आप दें, यही हमारी प्रार्थना है।

माननीय अध्यक्षः और हम उसको... मैं बिष्ट जी, आपसे भी प्रार्थना कर रहा हूँ कि व्यक्तिगत बात न करें आप। तथ्य जो हैं, उसके आधार पर बोलें। प्लीज।

श्री मोहन सिंह बिष्टः सर मैं आपका सम्मान करता हूँ।

माननीय अध्यक्षः प्लीज शांत हो जाइए। उनको बोलने दीजिए जो बोल रहे हैं, बोल लेने दीजिए।

श्री मोहन सिंह बिष्टः सर।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः अरे भई, अपने मंत्री जवाब नहीं देंगे क्या? अभी तो जवाब देना है।

...(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह बिष्टः मैडम, आप डिप्टी स्पीकर हैं ना, सदन की मर्यादा का आपको भी मालूम है। झूठ शब्द क्या होता है अनपार्लियामेंटरी लेंग्वेज है। मैंने इस सदन के अंदर पहली बार देखा, आपको शब्दों का उच्चारण करना नहीं आ रहा है।

माननीय अध्यक्षः मोहन सिंह जी, आप बात रखिए अब अपनी। ये टाइम खराब हो गया।

...(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह बिष्टः अरे, मैं सब पे बोलूंगा, ये मेरा अधिकार है। मुझे क्या बोलना है, नहीं बोलना है, ये आप मुझे नहीं सिखायेंगे। आप मुझे नहीं सिखायेंगे। और आप मुझे नहीं सिखायेंगे और न मैं आपसे सीखने के लिए आया हूँ।

माननीय अध्यक्षः मैं ये बता रहा हूँ सदन के सदस्यों को 4 बजे सीएम साहब को बोलना है। और वो लेट हुए तो आपकी वजह से लेट होंगे। आप बोल लीजिए जितना बोलना है आपको। बोलिए जितना बोलना है, मैं किसी को नहीं रोकूंगा। बोलिए। बोलते क्यों नहीं अखिलेश जी? अखिलेश जी बोलिए अब जितना बोल सकते हैं, बोलिए, ऋतुराज जी। मुझे समझ नहीं आता, नहीं, क्या कहें आप, क्या जरूरत है कहने की? नहीं, क्या जरूरत है आपको कहने की? अपने सदस्य बोल रहे हैं शांतिपूर्वक बोल रहे हैं। आपको कोई बात उनकी गलत लगती है अपने सदस्यों को बताइए जिनको बोलना है।

...(व्यवधान)

श्री सोमनाथ भारतीः आदरणीय अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्षः सोमनाथ जी, बैठ जाइए अब आराम से प्लीज, आप ही उठे थे बोलने के लिए। अब उनकी बात... आपने बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात रखी।

श्री मोहन सिंह बिष्टः आदरणीय अध्यक्ष जी, जिस प्रकार से जब सर, मैं उधर नहीं देखूंगा, मैं तो आपकी तरफ मुंह करके देखूंगा, मैं तो इनकी बात को इग्नोर क्योंकि ये इसके लायक हैं। मैं तुम्हें मानता ही नहीं, मैं तो सीधा स्पीकर साहब।

माननीय अध्यक्षः चलिए, आप व्यक्तिगत बात मत करिए आप।

श्री मोहन सिंह बिष्टः सर, मैं आपसे ही निवेदन करना है।

माननीय अध्यक्षः आप बात करिए सीधी।

श्री मोहन सिंह बिष्टः सर, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ।

माननीय अध्यक्षः किसानों के बिल पर आपने जो बोलना है, वो बोलिए। नगर निगम पे बाद में चर्चा है, उस पर बोलिएगा।

श्री मोहन सिंह बिष्टःसर डिस्टर्ब कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ या सत्ता पक्ष के लोग कर रहे हैं? मुझे बात रखने का अधिकार है। मुझे बात रखने का अधिकार है, सौरभ जी, मुझे अपनी बात रखने का अधिकार है, आपको मेरी बात कोई बुरी लगती है तो जवाब दे देना।

माननीय अध्यक्षः मैं सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित कर रहा हूँ।

सदन अपराह्न 3.20 बजे पुनः समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष (श्री राम निवास गोयल) पीठासीन हुए।

माननीय अध्यक्षः बिष्ट जी, जारी करिए बिष्ट जी। जो विषय है उसी विषय पर रखिए आप प्लीज।

श्री मोहन सिंह बिष्टः अध्यक्ष जी, जिस बिल पर हम सब लोग चर्चा कर रहे थे, सिर्फ मैं बातों को दोबारा रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि न मैं सदन का समय खराब करना चाहता हूँ और न मैं आपका भी टाइम वेस्ट ही करना चाहता। अध्यक्ष महोदय, हमारे सत्ता पक्ष के एक मित्र बोल रहे थे। मित्र ने कहा कि वो तीन डिग्री टैम्परेचर पर आज किसान परिवार के लोग वहां बैठे हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन

अध्यक्ष महोदय, ये भी सत्यता है कि तीन डिग्री के टैम्परेचर में आज भारतीय जनता पार्टी के तीनों नगर निगम के मेयर...

माननीय अध्यक्षः भई, नगर निगम पर अभी चर्चा होगी ना ?

श्री मोहन सिंह बिष्टः सर, सर, सर।

माननीय अध्यक्षः अभी नगर निगम पर चर्चा होगी ना, उसमें बोलिएगा। अभी किसान बिल पर बोल लीजिए।

श्री मोहन सिंह बिष्टः सर, मैं तो प्वाइंट का जवाब दे रहा हूँ।

माननीय अध्यक्षः हॉ कोई बात नहीं, बोलिए।

श्री मोहन सिंह बिष्टः ऐसा उन्होंने कहा, मैंने भी कहा। मैंने यदि कोई गलत शब्द बोला, वो सदन के अंदर उसका जवाब दे सकते हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि सामने हमको पारदर्शिता करनी चाहिए, ये मेरा निवेदन है। दूसरी बात, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ सरकार से। सर, सरकार का औहदा तब माना जाता है जब पेड़ पर फल लगते हैं ना। झुकने की आदत डालनी चाहिए। यदि झुकने की आदत नहीं डाली।

माननीय अध्यक्षः अभी नहीं समझ में आ रहा है।

श्री मोहन सिंह बिष्टः यही समझा रहा हूँ मैं तुम्हें। अभी सत्ता के नशे में चूर हो रहे हो आप लोग। ये हमने विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों देखा है। हमने आपने 1993 से 1998, 1998 से लेकर 2014–15 हमने सारा कार्यकाल देखा है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि बहुत सी बातों को हमको सीखना। आप से अच्छी बात होगी, मैं सीख करके ले जाऊँगा। जो बुरी बात होगी, उसको छोड़ दूँगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। ये सत्यता है कि दिल्ली के अंदर कोरोना काल जैसी ऐसी महामारी आई हो। दिल्ली के अंदर सब लोगों ने उससे सफर किया हो लेकिन जहाँ तक किसानों के हड़ताल की बात है, निश्चित रूप से आज किसान किन परिस्थितियों में या किस के बहकावे में... वो

बहकावे में आ रहे हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन... बिल्कुल निश्चित रूप से बहकावे में आ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, और सुनिए मैं एक बात बता दूँ आपको। आज इस देश का... अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। सर, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। देखिए, हम आपके ही इस सदन के मेम्बर हैं और आप हमारे कस्टोडियन हैं।

माननीय अध्यक्षः आप कानून पर बोलिए ना। आप कानून पर...

श्री मोहन सिंह बिष्टः हॉ, मैं कानून पर ही बोल रहा हूँ। ये जो टोका टाकी कर रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय मेरी केन्द्र की सरकार निश्चित रूप से जिस प्रकार हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने कहा है, वो किसानों के हित में, वो किसानों के प्रति उनके कानूनों के प्रति प्रतिबद्ध हैं, उनके साथ हैं। ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, ये अब क्या बीमारी लग गयी?

...(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह बिष्टः फिर तमीज से बात कर भई। अध्यक्ष महोदय, ये तो या तो आप सदन को बता दीजिए कि किसी मेम्बर से बद्तमीजी से न बोलें। बैठ जा, बैठ जा। क्या होता है बैठ जा, बैठ जा? ये ही सीखा तुमने इस सदन के अंदर?

...(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह बिष्टः अरे मेरे को पता है। एक तो आप यहां सदन के अंदर मर्यादा भी पूर्ण होनी चाहिए। चाहे वो सत्ता पक्ष वाला हो, चाहे विपक्ष वाला हो। अध्यक्ष महोदय, और विपक्ष का इतना गला ना घोटें। इतना चकनाचूर मत हो कि हम इतने सत्ता में। हमने शीला जी का भी शासन देखा। अपना भी देखा और आज आपका भी देख रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे एक निवेदन है कि जैसे मैने कहा कि हमारी केन्द्र की सरकार निश्चित रूप से किसानों के हितों के लिए आज प्रतिबद्ध है। हमने उसमें जिस प्रकार से 2013, 14 इसका वो देखा किसानों का और किसानों को कितना लाभ मिला। उसके बाद किसान जब खेती करता था तो उसमें कितनी वृद्धि दर रही, ये भी वो उसमें विदप्रूफ हमने अंकित किया है। अध्यक्ष महोदय, 2020 के

अंदर आज... तेरस में हुआ था 21.933, पैदावार करोड़ की तुलना आज 13400 एक लाख चौंतीस हजार तीन सौ निनान्वे करोड़ की इस प्रकार का बजट का प्रावधान भी किसानों के लिए रखा गया है। ऐसा केन्द्र सरकार द्वारा जिस प्रकार के ये किसानों में जा करके घोषणाएं करें। न्यूनतम मूल्य के आधार पर 2018 और 19 में अधिसूचना और एमएसपी के दर के आधार पर उत्पादक और उत्पादन की लागत का डेढ़ गुणा बैनिफिट उन किसानों को मिले उसके लिए भी निर्धारण किया गया है। अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक रही किसानों के न्यूनतम आय की बात, 2019 और 20 के अन्तर्गत उस वर्ष में 2013 और 14 में लगभग ढ़ाई गुणा राशि एमएसपी मूल्य के आधार पर किया गया। दो चरणों में 22.57 इस प्रकार का किसानों के लिए उसकी व्यवस्था को किया गया। अध्यक्ष महोदय, कृषि सुधार कानूनों के बारे में किसानों के बीच में जिस प्रकार से आज लोगों को एक दूसरे की बातें... मैं भ्रम नहीं कहूंगा लेकिन एक बार ऐसी स्थिति बनाई जा रही है, वो निश्चित रूप से देश हित और राष्ट्र हित के लिए ठीक नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। जहाँ तक रही एमएसपी की बात मैं आपके माध्यम से सदन से निवेदन करना चाहता हूँ कि एमएसपी का जो मूल्य तय किया गया है उसमें सरकारी मंडियों की व्यवस्था जारी रहेगी। नए कानून और उसमें मंडियों में किसानों के लिए बेहतर सेवाएं इस प्रकार का देने का केन्द्र सरकार का है।

अध्यक्ष महोदय, और इसमें एक चीज और है कि किसान अपनी फसल को कहीं भी बेच सकता है। उसमें कोई पाबन्दी नहीं है। यदि उसको अच्छे रेट उसके खेत और खलिहान में मिल रहे हैं तो निश्चित रूप से वो मिलना चाहिए। इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। ये मेरा कहना है।

अध्यक्ष महोदय, हम सब किसान के बेटे हैं और हम जब किसान के बेटे हैं तो निश्चित रूप से जमीन से उठ करके हम यहाँ दिल्ली जैसे महानगरी में आए हैं और हम जानते हैं।

माननीय अध्यक्षः मोहन सिंह जी इधर। मोहन सिंह जी मुझे मुखातिब होकर।

श्री मोहन सिंह बिष्टः सर, सर। कोई बात नहीं। कोई नहीं वो ठीक है। उनकी रूलिंग सही है। मैं उसका सम्मान करता हूँ। सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि किसान का

बेटा हमेशा किसानी ही करता रहता है। आज जिस प्रकार से केन्द्र सरकार के द्वारा ये नई–नई नीतियां बना करके किसानों को उठाने का काम किया है, उनके स्तर को बढ़ाने का काम किया है, निश्चिय ही किसानों को लाभ मिलेगा, ऐसा मेरा कहना है। ये ही नहीं, अध्यक्ष महोदय, गाँव हो या ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों के साथ किस प्रकार से हमने 70 साल के अंदर कोई ऐसी सरकार नहीं आयी जिन्होंने किसानों के बारे में सोचा होगा। आज गाँव के अंदर प्रत्येक किसान के खाते में छः हजार रूपया साल का उनके खातों में डाला। बीज के अंदर बीज के बड़े–बड़े लाइनें लगी रहती थी। लोग और यूरिया खरीदने के लिए लम्बी कतारों में खड़े थे वो सिस्टम को खत्म करने का केन्द्र ने काम किया। ये मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ और अध्यक्ष जी, आपने मुझे समय दिया, मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ और पुनः मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। थोड़ा सा सदन के अंदर सदन की मर्यादा और सदन के बारे में ये हम सब लोगों की सोच बननी चाहिए। सदन व्यक्तिगत किसी व्यक्ति का नहीं है। एक राजनीतिक दल का नहीं है। जितने लोग चुन करके आये हैं, ये उनका सदन है, इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए।

माननीय अध्यक्षः चलिए धन्यवाद।

श्री मोहन सिंह बिष्टः क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है इसके बारे में। मान लिया हम मंत्री हैं और हम स्पीकर या डिप्टी स्पीकर हैं। हम यहां खुद ऐसी नींव डाल रहे हैं अन–पार्लियामेंट्री लैंग्वेज जब हम बोल रहे हैं तो नया आने वाला सदस्य क्या बोलेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बड़ी पीड़ा के साथ बोल रहा हूँ। इस सदन के अदर मैंने पहली बार देखा। आप तो हमारे टेलीफोन उठाते हैं, आपके मंत्री संत्री कोई किसी का टेलीफोन नहीं उठाते।

माननीय अध्यक्षः अब आज का ये विषय नहीं है।

श्री मोहन सिंह बिष्टः एमएलएज की हालत क्या हो गई है। आज बद से बदतर हो गई है।

माननीय अध्यक्षः मोहन सिंह जी, बैठिए प्लीज।

श्री मोहन सिंह बिष्टः सारे एमएलए सोच रहे है ये।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः सोमनाथ जी बैठिए। बैठिए–बैठिए।

श्री मोहन सिंह बिष्टः आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

माननीय अध्यक्षः सोमनाथ जी, बैठिए। मोहन सिंह जी बैठिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः सोमनाथ जी, सोमनाथ जी, बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः सोमनाथ भारती जी बैठ जाइए। चलिए, बैठिए–बैठिए। सोमनाथ जी। माननीय मंत्री श्री गोपालराय जी।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मैने उनको इजाजत भी नहीं दी, ना माइक था।

वो रिकार्ड ही नहीं हुए हैं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः भैया, वो रिकार्ड ही नहीं हुए हैं। वो रिकार्ड ही नहीं हुए हैं। जब मैं बोल रहा हूँ। वो रिकार्ड ही नहीं हुए हैं। आप बैठिए अब। माननीय मंत्री श्री गोपाल राय जी।

माननीय श्रम मंत्री (श्री गोपाल राय): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, देश के जब अन्नदाता किसान पिछले 20 दिनों से इस कड़ाके की ठंड में सड़क पर अपनी जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं, ऐसे वक्त में पार्लियामेंट को सदन बुला करके इस पर चर्चा करने की नैतिक जिम्मेदारी थी। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूँ दिल्ली के माननीय मुख्य मंत्री को इस सदन को कि किसानों की जिस राष्ट्रीय समस्या पर चर्चा करने

की जिम्मेदारी इस देश के राष्ट्रीय सदन की थी, उस विषय पर आज दिल्ली विधान सभा चर्चा कर रही है। अध्यक्ष महोदय, बारह किसानों की जान जा चुकी है। कल मैं सिंघू बॉर्डर गया था। आपने भी खबर पढ़ी होगी। दुर्दशा के दर्द को न बर्दाश्त करने की वजह से कल एक किसान ने अपने प्राण को त्याग दिया। बार–बार चर्चा हो रही है देश के अंदर; केन्द्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के बड़े–बड़े नेताओं के माध्यम से हमने सुना। कह रहे हैं ये किसानों को बहकाया जा रहा है। उनके उस पर राजनीति हो रही है। राजनीति अगर इस देश के किसानों के मसले पर नहीं होगी तो क्या राजनीति अम्बानी और अम्बानी की दलाली के लिए होगी? किस के लिए राजनीति होगी। राजनीति इस बात के लिए होगी कि पंजाब के किसान जब निकलेंगे। कह रहे है एसोचेम का ब्यान आया, करोड़ो का घाटा हो रहा है। कौन है जिम्मेदार? पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान जब निकले थे तो रामलीला मैदान के लिए उन्होंने परमिशन मांगी थी। अगर केन्द्र सरकार ने रामलीला मैदान में आन्दोलन करने के लिए परमिशन दी होती, न तो बारह किसानों की जान जाती, न तो हमारी माताएं बहनें इस ठंड में सड़क पर ठिठुरती और न तो आर्थिक नुकसान होता। कौन है जिम्मेदार इसका? अगर पंजाब का किसान, हरियाणा का किसान रामलीला मैदान में आ करके अगर अपना आन्दोलन करता तो संविधान का क्या अपमान हो जाता? क्या मोदी जी का या भारतीय जनता पार्टी का अपमान हो जाता? ऐसा नहीं था। आज जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं। केन्द्र सरकार कह रही है, चीन का समर्थन है, पाकिस्तानी करा रहे हैं, खालिस्तानी करा रहे हैं, आतंकवादी करा रहे हैं, टुकड़े–टुकड़े गैंग करा रहे हैं। अगर आज दिल्ली के बॉर्डर सील हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ एक जिम्मेदार है, उसका नाम है, भारतीय जनता पार्टी की केन्द्र सरकार। अगर रामलीला मैदान में आन्दोलन की परमिशन दी गई होती तो आज जो हालात पैदा हुए हैं, वो हालात पैदा नहीं होते अध्यक्ष महोदय।

दूसरी बात कहना चाहता हूँ, आप कह रहे हो, आम आदमी पार्टी के लोग विपक्ष के लोग राजनीति कर रहे हैं। हॉ, हम कर रहे हैं राजनीति। अगर तुम किसानों के ऊपर लाठी चलाने की राजनीति करोगे तो हम किसानों की रक्षा करने की राजनीति करेंगे। कोई नहीं रोक सकता। अगर आप किसानों के ऊपर पानी की बौछार चलाने

की राजनीति करोगे तो हम उसका विरोध करने की राजनीति करेंगे। अगर आप किसानों को समझते हो कि पंजाब के किसान हैं, हरियाणा के किसान हैं। पंजाब को भूल गए? हिन्दुस्तान याद करिए, अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान जब गुलाम था, इस मादरे वतन की रक्षा के लिए किसानों के ऊपर जब संकट आया ''पगड़ी सम्भाल जट्टा आन्दोलन'' उसी किसान आन्दोलन की जन्म दाता भूमि है पंजाब। अजीत सिंह को भूल गए? लाला हरदयाल को भूल गए? करतार सिंह सराभा को भूल गए? उधम सिंह को भूल गए? इस देश के अंदर मादरे वतन की आजादी के लिए लाखों लोगों ने कुर्बानी दी। लेकिन शहीदे–आजम कहा जाता है जिसका नाम भगत सिंह है। जिसको उसी पंजाब की धरती ने पैदा किया। आज आप कह रहे हो पंजाब है! पंजाब है! पंजाब जैसे गुनाह हो गया पंजाब में पैदा होना। हरियाणा में पैदा होना गुनाह हो गया।

अध्यक्ष महोदय, जिस तरह के हालात पैदा किये गए हैं। मैं इस सदन के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ अभी वक्त गुजरा नहीं है। आप कह रहे हो, वो खालिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, छः राउंड की वार्ता हुई है किसानों के साथ। बत्तीस प्रतिनिधि पहले दिन गए थे। उसके बाद 40 प्रतिनिधि गए। जिन चालीस नेताओं से केन्द्र सरकार वार्ता कर रही थी विज्ञान भवन में, वो खालिस्तानी थे तो वार्ता क्यों हो रही थी? वो आतंकवादी थे तो वार्ता क्यों हो रही थी? अगर वो टुकड़े–टुकड़े गैंग के मैम्बर थे तो वार्ता क्यों हो रही थी? आप समझते थे कि किसान बेवकूफ होते हैं। हम बड़े–बड़े कृषि अधिकारियों को बैठा करके उनको समझा देंगे गोल–गोल–गोल। किसान प्रैक्टिकल सांइटिस्ट हैं। व्यावहारिक वैज्ञानिक हैं। जब से ये धरती पैदा हुई, भारत के अंदर जब से कृषि पैदा हुई है, वैज्ञानिक बाद में पैदा हुआ है, किसान पहले पैदा हुआ। जो किसान खेती करता है, उन्होंने समझाया। दो दिन किसानों ने सुना। एक–एक बात को सुना। कृषि मंत्री जी को सुना। कृषि राज्य मंत्री को सुना। पीयूष गोयल जी को सुना। सारे मंत्रियों को सुना किसानों ने। उसके बाद किसानों ने अपना प्रजेंटेशन दिया। एक–एक प्वाइंट समझाया। बाद में सरकार ने माना कि हॉ, हमसे गलती हुई। अगर गलती हुई तो फिर जिद में आने की जरूरत नहीं है। अगर आपने मान लिया कि गलती हुई तो

बिल वापिस कर लीजिए। देश अपना है, पार्लियामेंट अपनी है, बहुमत आपका है। किसानों के साथ कमेटी बनाकर के इस बिल को वापिस कर लीजिए। नया कानून लाइए उसमें बुराई क्या है। आज अध्यक्ष महोदय, कृषि कानून का जो मसला है, किसान आंदोलन का मसला है, केवल जिद्द पर अटका हुआ है। मैं इस पूरे सदन के माध्यम से देश के किसानों के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ केन्द्र सरकार से, जिद्द छोड़िए, आज इसका समाधान निकल जाएगा। अध्यक्ष महोदय, कहा जा रहा है ये एमएसपी जारी रहेगी, देश में हर जगह किसान को बेचने का अधिकार मिलेगा। मैं जहाँ पैदा हुआ पूर्वांचल में, वहां तो मंडी नहीं है। वहाँ हमारे घर को तो हम तो जब से पैदा हुए, तब से पैदा होता है धान, गेहूं, सरसों कहीं भी बेच लेते हैं, प्रतिबंध कब था? प्रतिबंध कब था? हम तो कहीं भी बेच लेते हैं, कितना बेचते हैं। आज की बात है, कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी ने सदन में कह दिया, एमएसपी दी जाएगी। आज की डेट की बात बता रहा हूँ अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री जी के कहने के बाद एमएसपी है 1800/– रुपये। मेरे खेत का उपज 1100/– में बिकी है प्रति क्विंटल। मोदी जी ने कह दिया फिर भी कोई मान ही नहीं रहा है तो किसान कहाँ जाए। इसलिए किसान कह रहा है, आपको मंडी रखना है। आप कह रहे हो, मंडी रहेगी। मंडी रखिए। आप कह रहे हो, ओपन करना है, लोगों को और जगह चाहिए, जाने दीजिए। किसान क्या मांग कर रहा है? किसान एक बात कह रहा है कि चाहे सरकारी मंडी हो, चाहे प्राइवेट मंडी हो, चाहे कोई दुकान हो, चाहे किसी का कारोबार हो जो एमएसपी तय करती है, सरकार उससे कम दाम पर चाहे सरकार हो, चाहे प्राइवेट हो, कोई नहीं खरीदेगा। इतनी तो गारंटी मांग रहा है। आपको देने में क्या हर्ज है? आपको क्या तकलीफ है भई, किस बात का दर्द है? अगर आप अपनी ही बात पर अटके हो कि मोदी जी ने कह दिया तो कानून बना दो। प्रॉब्लम क्या है?

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूँ, अंग्रेजों ने ये भूल की थी। अंग्रेजों ने धीरे–धीरे जब ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था तो धीरे–धीरे इस देश के अंदर धीरे–धीरे जितने राजा, नवाब थे, जिनके पास सेना थी थोड़ी–थोड़ी, ज्यादा तो बची नहीं थी। उन सबको धीरे–धीरे अंग्रेजों ने हड़पा, धीरे–धीरे सबसे बड़ी सेना बनायी, धीरे–धीरे कब्जा किया। बहादुर शाह जफर के लाल

किले को जब हड़प लिया, किले में बंदी बना दिया, पेन्शनधारी बना दिया। उसके बाद अंग्रेजों को लगा कि अब हमारा इस देश पर एकछत्र राज है, ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा, हमारा कोई क्या बिगाड़ सकता है? अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यही वो किसान है और इन्हें एक कण... किसानों का बेटा मंगल पाण्डेय ने बिगुल बजा दिया था। उन्हीं किसानों के बेटों ने मेरठ की छावनी में बिगुल बजा दिया था। किसान–किसान नहीं है अध्यक्ष महोदय, किसान का बेटा ही जवान होता है और जिस दिन किसान और जवान मिल जाएगा, अंग्रेजों की हुकुमत को चकनाचूर कर दिया था। किसी भी अहंकारी सरकार को ज्यादा अहंकार में रहने की जरूरत नहीं है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से चूंकि दिल्ली के चारों तरफ किसान सड़क पर है, हम खुले मन से उन किसानों के आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। क्योंकि उनकी मांग जायज है और मैं आप सबको एक बात कहना चाहता हूँ, किसान अपने लिए नहीं लड़ रहा, किसान देश के लिए लड़ रहा है। ये जो दस्तावेज हैं, ये दस्तावेज केवल किसानों के ऊपर हमला नहीं है, ये पूरे देश के पूरे सिस्टम को चेंज करने वाले हैं। क्योंकि कृषि भारत की रीढ़ की हड्डी है और जब स्पाइन पर हमला होता है तो शरीर बचाना मुश्किल हो जाता है। किसी देश के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, समाज के लिए। इसलिए किसान आज देश के लिए लड़ रहा है और इसलिए इस मादरे वतन के अंदर जो भी देशभक्त अपने आपको कहता है, इस देश को बचाने के लिए लड़ना जरूरी है और देश को बचाने के लिए लड़ना जरूरी है तो किसानो के हक में आज खड़ा होना जरूरी है। क्योंकि अगर आज नहीं हम खड़ा हुए तो कल फिर हम लड़ने लायक नहीं बचेंगे फिर अगली की अगली, अगली की अगली पीढ़ियां खड़ा हो पाएंगी?

इसलिए अध्यक्ष महोदय, दिल्ली विधान सभा की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से, दिल्ली की जनता की तरफ से हम खुले मन से हर तरह से उन किसानों का समर्थन करते हैं और ये जो तीनों कृषि बिल लाए गए हैं, अभी हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे कि पंजाब में इन्होंने ये कर दिया, दिल्ली में ये कर दिया, ये तो दोहरी पालिसी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ केन्द्र सरकार पिछले एक हफ्ते से केवल एक कोशिश कर रही है, किसी तरह से इस मुद्दे को

भटकाया जाए। किसी तरह से इस मुद्दे को भटकाया जाए लेकिन सारा कुछ करने के बावजूद आज ये सच है कि जिस तरह से रावण के दरबार में किसानों ने अंगद की तरह पैर टिकाया है, रावण के दरबार को समझ में नहीं आ रहा है कि इस पैर को कैसे हिलाया जाए, कैसे हटाया जाए। अध्यक्ष महोदय, ये देश का पैर है, देश का यही वो किसान है जिन्होंने अंग्रेजी राज को, हुकुमत को खत्म किया। यही वो किसान है, देश पर जब–जब संकट खड़ा हुआ है, लोगों ने, किसानों ने अपना सीना तान दिया। यही वो किसान है। पंजाब–पंजाब करते हो, याद करो, जब भी इस देश पर संकट आया उत्तर से, सीना किसका लहूलुहान हुआ, किसने पहली गोली खाई, किसने पहले गर्दन कटवाये, उसका नाम पंजाब है। इसलिए मैं दो बात कहना चाहता हूँ कि पहली बात कि पंजाब को और किसानों को अपमानित मत करिए। वार्ता के लिए वो तैयार हैं, बिल को सस्पेंड करिए, वापस लीजिए, वार्ता करिए और समाधान निकालिए। अध्यक्ष महोदय, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आज जो ये तीनों कानून पास हुए हैं, ये न सिर्फ संविधान विरोधी है बल्कि देश विरोधी हैं और किसी भी कीमत पर देश विरोधी किसी भी कानून को स्वीकार करना अपनी देशभक्ति पर सवाल है। सरकार को अगर आज नहीं समझ में आ रहा है तो कल समझ में आ जाएगा। इसलिए मैं, जो प्रस्ताव हमारे माननीय मंत्री जी ने रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूँ और विरोध के रूप में ये जो बिल पारित किया है सरकार ने, मैं इसको फाड़कर के सदन में फेंकता हूँ।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद गोपाल जी। बिधूड़ी जी।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः आदरणीय अध्यक्ष जी, दिल्ली के माननीय राजस्व मंत्री श्री कैलाश गहलोत जी ने किसान आंदोलन के संबंध में जो सरकारी संकल्प प्रस्तुत किया है, मैं अपनी ओर से और भाजपा विधायक दल की ओर से इसका विरोध करता हूँ।

आदरणीय अध्यक्ष जी, हमने इस सदन के मेंबर माननीय महेन्द्र जी को भी सुना। हमने दूसरे माननीय सदस्य श्री संजीव झा जी को भी सुना।

माननीय अध्यक्षः ये मोबाइल किसका बोल रहा है।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: माननीय महेन्द्र जी ने कहा किसान हमारा इलाज कर देंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये जो तीनों कृषि सुधार कानून मोदी जी लाये हैं, उसके बाद हमने बिहार भी जीता है और जो टोटल सीट हमने लड़ी, उसमें से 67 परसेंट सीटें हमने जीती हैं। हमने गुजरात में आठ में से आठ सीटें जीती हैं। हमने उत्तर प्रदेश में सात में से छः सीटें जीती हैं। हमने कर्नाटक में दोनों सीटें जीती हैं और हमने मध्य प्रदेश में 28 में से 19 सीटें जीती हैं।

आदरणीय अध्यक्ष जी, राजस्थान में कांग्रेस रूलिंग पार्टी हैं। अभी तक तो ये ही परंपरा चली आ रही थी कि जो रूलिंग पार्टी होती थी विधान, जिला परिषद या पंचायत का जो चुनाव होता था, उनको मैजोरिटी मिलती थी। लेकिन ये तीन कृषि सुधार कानूनों का कमाल है कि राजस्थान में वो परंपरा भी टूट गयी और हमने राजस्थान भी जीत लिया। हमने मणिपुर की पाँचों सीटें भी जीती हैं। अब हमारा किसान इलाज कर रहे हैं या मोदी जी को भरपूर समर्थन दे रहे हैं, ये आँकड़े अपने आप में बयान कर रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे माननीय संजीव झा जी ने कहा कि ये तीनों काले कानून हैं। मैं ये जरूर जानना चाहता हूँ दिल्ली के माननीय मुख्य मंत्री श्री अरविंद केजरीवाल की सरकार ने 23 नवंबर, 2020 को तीन कृषि सुधार कानूनों में से एक उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य कानून को नोटिफाई किया, मंजूरी दी और बाकी दो के बारे में कहा कि हम इस पर विचार करेंगे। अगर ये काले कानून हैं तो फिर माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक काले कानून को अपनी मंजूरी क्यों दी? तो इस पर तो हम जरूर माननीय मुख्य मंत्री जी से स्पष्टीकरण चाहेंगे।

आदरणीय अध्यक्ष जी, श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार जब देश में बनी, उससे पहले किसानों की हालत बहुत खराब थी और आज मैं ये कह सकता हूँ कि पिछले 6 सालों में कृषि उत्पादन बढ़ा है, रिकार्ड प्रोक्योरमेंट हुई है और इसके साथ–साथ किसान जो फसल पैदा करता है उसको अच्छी से अच्छी कीमत दी गई है। इससे पहले इतनी अच्छी कीमत किसी भी सरकार ने नहीं दी थी। आदरणीय अध्यक्ष जी, जो ये तीन कृषि सुधार कानून हैं हमारे देश के किसानों को लेकर शंका हो सकती थी। भारत के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने भारत के कृषि मंत्री माननीय श्री नरेन्द्र सिंह तोमर जी ने किसानों के साथ बातचीत की और ये प्रयास किया गया कि

जो शंका किसानों के मन में है, उसको दूर किया जाए। ये कहा गया कि एमएसपी समाप्त हो जाएगी। मोदी जी की सरकार ने कहा कि एमएसपी जारी रहेगी। ये कहा गया कि मंडियां समाप्त हो जाएंगी। वैसे मंडियों पर तो राज्य सरकार का कंट्रोल होता है। आदरणीय मोदी जी की सरकार ने कहा कि मंडियों का विस्तार होगा और एमएसपी जारी रहेगी, इसके लिए लिखित रूप में देने के लिए तैयार हैं। मंडियां जारी रहेंगी। किसान यदि अपनी जमीन को ठेके पर कांट्रेक्टर को देना चाहता है तो अध्यक्ष जी, मैं जानकारी में लाना चाहता हूँ इस हाउस के ऑनरेबल मेंबर्स को, कांग्रेस ने एक ऐसा कानून बनाया कि यदि किसान की जमीन को कोई दूसरा आदमी बोएगा और जोतेगा और 6 साल तक उसकी गिरदावरी चढ़ गयी तो मालिक हो जाता है। आदरणीय मोदी जी ने उस कानून को खत्म कर दिया। अगर वो कांट्रेक्ट पर देता है रिटन एग्रीमेंट होता है 20 साल, 50 साल, 100 साल कोई कांट्रेक्टर खेती करे, किसान उसका मालिक रहेगा। नई तकनीक से खेती होगी, उत्पादन बढ़ेगा। अभी ये जानकारी भी आती रहती है कि खेत में कई बार किसान साल में एक फसल ले पाता है। और जब प्राइवेट कॉन्ट्रेक्टर में और किसान में कम्पीटिशन होगा तो आज मैं इस सदन के माध्यम से कह रहा हूँ कि साल में किसान कॉन्ट्रेक्टर तीन–तीन फसल उगाएगा, उत्पादन बढ़ेगा, किसान की आय तिगुनी होगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। ये मैं इस हाउस के अन्दर कहना चाहता हूँ।

आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे गृह मंत्री जी ने लंबी वार्ता किसान नेताओं के साथ की है। किसान हमारे लिए बहुत प्रिय हैं। इस हाउस के माध्यम से हम उनसे विनम्र निवेदन करते हैं कि जो वो चाहते थे, जो उनकी शंकाएं थी, वो दूर कर दी हैं सरकार ने। वो अपने घर को लौटें और अगर ये भी कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल जी ने उनका बहुत ख्याल रखा है तो हम तो मुख्य मंत्री जी, आपका धन्यवाद करते हैं, आपने ख्याल रखा है। लेकिन जो हमने उनकी शंकाएं दूर की हैं तो उसकी चर्चा भी जरूर करनी चाहिए। सरकार इस देश के मेहनतकश कमेरे लोगों के साथ किसी कीमत पर कोई टकराव करने के मूड में नहीं है। मैं उस भाषा का इस्तेमाल नहीं करूंगा जिस भाषा का यहाँ इस्तेमाल हुआ है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरा 50 साल का राजनीतिक जीवन है और मैंने लम्बे समय तक गाँव और किसान की लड़ाई लड़ी

है, चाहे सरकार किसी की भी रही हो। आज मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से ये जरूर पूछना चाहता हूँ कि आप राष्ट्रीय स्तर पे राजनीति करें, राष्ट्रीय स्तर पर आप किसानों के मुद्दे उठाएं। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि दिल्ली के किसानों के मन में बहुत दर्द है, हम उसपे राजनीति नहीं करना चाह रहे हैं। हमारी तो यही मंशा है कि चाहे हम कल सरकार में आयें, हम अपनी कलम से उनके दर्द को दूर करें या माननीय मुख्य मंत्री अरविंद केजरीवाल जी करें, हमारी ये मंशा है। हमारी कोई राजनीति करने की मंशा नहीं है। मैं आदरणीय मुख्य मंत्री जी से जरूर जानना चाहूंगा। माननीय मुख्य मंत्री जी नवम्बर, 2019 में आपने स्टेटमेंट नहीं दिया बल्कि आप एक प्रेस कॉफ्रेंस को एड्रेस कर रहे थे, उसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास है। आपने कहा कि हमने गेहूं कि कीमत दिल्ली में 2616 रुपया तय नहीं की है बल्कि हम दिल्ली के किसानों को दे रहे हैं और धान पर हम 2700 रुपये पर क्विंटल दे रहे हैं और ये भी कहा आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने कि दिल्ली पहला राज्य है जहां डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो गयी है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जरूर जानना चाहूंगा कि जो कुछ आपने कहा, अगर ये अमल में आ गया है तो बहुत–बहुत आपका हम धन्यवाद करेंगे। आपकी सरकार ने ये भी कहा कि इसके ऊपर हमारा सौ करोड़ रुपया हर साल अलग से खर्च हम कर रहे हैं। अब 2019 का सौ करोड़ रुपया कहाँ है? 2020 का सौ करोड़ रुपया कहां है? दो सौ करोड़ रुपया माननीय मुख्य मंत्री जी जल्दी–से–जल्दी किसानों को दिलवाएं जिससे कि हम उनका धन्यवाद करने के लिए आएं उनके घर पर। हम तो अगर आप कुछ करेंगे हम धन्यवाद करेंगे। मुख्य मंत्री जी, हम उसमें डंडी नहीं मारेंगे, कोताही नहीं करेंगे, मैं आपको कहना चाहता हूँ। दलगत राजनीति से ऊपर उठ के ये तो अब आपको जो कुछ हमने सुना है, आदरणीय अध्यक्ष जी, बिजली के नाम पर दिल्ली का किसान को लूटा जा रहा है, बिजली कम्पनियों के द्वारा 8 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से भी किसानों से बिजली के दाम, बिजली के रेट या बिजली की कीमत ली जा रही है। आज मैं आपकी उपस्थिति में बताना चाहता हूँ कि हिन्दुस्तान में ऐसा कहीं नहीं है कि जो दो बिजली कम्पनियां हैं, उनके कर्मचारियों को पेन्शन... उनके कर्मचारियों को 700 यूनिट हर महीने मुफ्त ये कम्पनियां देंगी और वो पैसा किसान की जेब से निकाला जाएगा। आप हमारे

बगल में हरियाणा में जाओ। माननीय मुख्य मंत्री जी, वहाँ किसान के लिए बिजली मुफ्त कर दी है। हम चाहेंगे कि आप दिल्ली में भी बड़ा दिल करें और किसानों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराएं। ये मैं अपनी पार्टी की ओर से आपसे मांग करना चाहता हूँ। आदरणीय मुख्य मंत्री जी, हाँ, मानिए, मैं अध्यक्ष जी के माध्यम से आपसे ये जरूर जानना चाहूंगा कि आज किसान अपने खेत में ट्यूबवेल नहीं लगा सकता। आखिर वो खेती करे तो कैसे करें? डीएम के यहाँ उसको धक्का खाना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता, हल्की बात करने का कोई फायदा नहीं है, आप समझ सकते हैं। ये हाउस समझ सकता है कि अधिकारी किस तरह का व्यवहार करते हैं हमारे किसानों के साथ। आप जब ट्यूबवेल नहीं लगने देंगे तो हमारा कृषि का उत्पादन कैसे बढ़ेगा, लोगों को ताजा सब्जियां कैसे मिलेंगी, हमारा किसान अनाज कैसे पैदा करेगा? और यदि कहीं ट्यूबवेल लगाने की अनुमति मिल भी जाए तो किसानों को बिजली का कनेक्शन नहीं मिल रहा। तो मैं मुख्य मंत्री जी से चाहूंगा कि इसकी तरफ वो जरूर ध्यान देंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, देश का ऐसा कोई राज्य नहीं है, जहाँ किसान की जमीन एक्वायर की जा रही है, उसका मुआवजा नहीं बढ़ाया गया हो। पिछले 6 सालों में आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने... कारण क्या रहे हैं, वो तो वो बता पाएंगे कि ये जो खादर की जमीन है, उसको लगभग उसका मुआवजा 17 लाख रुपया एकड़ है। जो अच्छी जमीन है, उपजाऊ जमीन है उसका मुआवजा 53 लाख रुपया एकड़ है। तो हम पूछना चाहते हैं कि पूरे देश में हर राज्य ने यदि किसान की जमीन को कोई राज्य एक्वायर करेगा तो किसान की जमीन की मुआवजे की राशि को बढ़ाया है। आखिर दिल्ली में क्या कारण हैं कि किसानों का मुआवजा नहीं बढ़ रहा है? आदरणीय अध्यक्ष जी, दिल्ली के अन्दर जो किसानों की जमीन एक्वायर होती है, ये फैसला हुआ था कि उनको 250 गज से ले के 500 गज तक का अल्टरनेटिव रेजिडेंशियल प्लाट दिया जाएगा। जब उनको एक प्लाट मिलता है तो निश्चित तौर पे एक किसान को 4–5 करोड़ का मुनाफा हो जाता है। ये अल्टरनेटिव रेजिडेंशियल प्लाट देने पर रोक लग गयी है, उसका क्या कारण है? उसका क्या रास्ता निकल सकता है, उसमें हम मुख्य मंत्री जी का क्या सहयोग कर सकते हैं, मैं जरूर चाहूंगा कि आज हजारों किसानों के अल्टरनेटिव रेजिडेंशियल प्लाट...

माननीय अध्यक्षः कन्क्लूड प्लीज।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः मै कर रहा हूँ, जी, दो मिनट में कर रहा हूँ। जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, वो किसानों को मिलने चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज गाँव में किसान जो है, उसका दाखिल खारिज नहीं है हो रहा है। अगर किसी किसान की मृत्यु हो जाए तो आज उसका म्युटेशन नहीं हो रहा है, रेवेन्यू रिकॉर्ड में गिरदावरी नहीं हो रही है। लोग इस बात को लेकर हमारे पास निरंतर आ रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, पूरे देश में हर राज्य में किसान उपकरणों पर राज्य सरकार सब्सिडी देती है। मैं पूछना चाहता हूँ आदरणीय मुख्य मंत्री जी से कि हरियाणा में चले जाइए, हैरो के ऊपर, कल्टीवेटर के ऊपर सिंचाई के लिए जो नाली बनायी जाती है, जो ट्रैक्टर खरीदा जाता है, जो पाइप खरीदी जाती है, यदि ट्यूबवेल लगाया जाता है तो उसपे भी 60 परसेंट से ले के 70 परसेंट तक जब हरियाणा के किसानों पर सब्सिडी मिल सकती है तो आदरणीय मुख्य मंत्री जी हम दिल्ली में भी चाहेंगे कि आप दिल्ली के किसानों को सब्सिडी दें।

माननीय अध्यक्षः बिधूड़ी जी अब कन्क्लूड करिए। प्लीज कन्क्लूड।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः मैं कर रहा हूँ जी, दो मिनट में खत्म कर रहा हूँ। आप देख लीजिए टाइम।

आदरणीय अध्यक्ष जी, दिल्ली के मुख्य मंत्री जी ने ये वायदा किया था दिल्ली के किसानों से कि हम 81ए को खत्म करेंगे, 33ए को खत्म करेंगे। आखिर किसान का कसूर क्या है? 1908 में आखिरी बार लालडोरा बढ़ा और यदि किसान अपने लालडोरे के बाहर मकान बनाता है तो एसडीएम उस को ग्राम सभा में वेस्ट कर देता है, वो जमीन सरकारी घोषित हो जाती है। आप मुझे बताइए, 1908 के बाद क्या गांवों का विस्तार नहीं हुआ है? क्यों नहीं 81ए या 33ए हटायी जा रही है। ये भी मैं मुख्य मंत्री जी के सामने ये रखना चाहता हूँ। आदरणीय अध्यक्ष जी, अगर हरियाणा में आप जाएंगे तो किसान जीते जी अपनी एग्रीकल्चर लेंड को अगर अपने बेटा–बेटी को देना चाहता है तो 100 रुपये के स्टॉम्प पेपर पे वो जमीन उनके नाम पे कर सकता है, यहां 5 परसेंट स्टॉम्प ड्यूटी देनी पड़ती है। मुख्य मंत्री जी, ये बहुत ज्यादा है

इसको समाप्त कराइए।

आदरणीय अध्यक्ष जी, दिल्ली में यदि किसान उसको मुआवजा कम मिला है तो वो हाईकोर्ट में अपील में जाता है तो एक परसेंट स्टॉम्प ड्यूटी देनी पड़ती है। मदन लाल जी यहाँ बैठे हुए हैं, वकील हैं। वो इस बारे में बता सकते हैं। माननीय सोमनाथ जी भी बता सकते हैं। मैं यहाँ आरोप–प्रत्यारोप के लिए नहीं खड़ा हुआ हूँ। मेरी रूचि तो इन किसानों की समस्याओं का समाधान कैसे हो, उसके लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। आदरणीय अध्यक्ष जी, किसानों की जमीन एक्वायर की जाती है। मदल लाल जी को मालूम है कि एलएसी एडीएम का कार्यालय जो है, वो रेफ्रेंस को फॉरवर्ड करता है। कई–कई साल लग जाते हैं। किसान धक्के खाता है। अगर उसको मुआवजा कम मिला है, वो डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ जाना चाहता है, हाईकोर्ट में जाना चाहता है, उसको क्यों नहीं, एक टाइम बाउंड प्रोग्राम होना चाहिए। मुख्य मंत्री जी को पूछना चाहिए कि कितने मामले ऐसे पेंडिंग हैं। उनको 15 दिन के अन्दर क्लीयर करिए, तो एक संदेश जाएगा कि हम लोग किसान के प्रति गंभीर हैं।

माननीय अध्यक्षः चलिए, कन्क्लूड कीजिए।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः आदरणीय अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्षः नहीं, अब हो गया बिधूडी जी, प्लीज।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ।

माननीय अध्यक्षः नहीं, हो गया अब।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः आजाद पुर सब्जी मंडी में किसान भवन है, वो बंद पड़ा हुआ है। एक मिनट बस लूंगा आपका, घड़ी देख लो।

माननीय अध्यक्षः नहीं बिधूड़ी जी, ज्यादा चर्चा किसान बिल पर रखें और चीजों पे रोक दें।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः अध्यक्ष जी, पराली की बात।

माननीय अध्यक्षः अब ये पराली की बात।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः ये ऑल पार्टी मीटिंग में कही थी।

माननीय अध्यक्षः नहीं, ये बिल का, बिल का मामला है।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः नहीं, ये है न, किसान से जुड़ा हुआ मामला है न जी।

माननीय अध्यक्षः उसपे समय नहीं दिया।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः किसान से जुड़ा हुआ मामला है। मैं लाइन से नहीं भटक रहा हूँ।

माननीय अध्यक्षः आपका मैक्सिमम से।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः मैं लाइन से नहीं भटक रहा हूँ। मैं किसान पे बोल रहा हूँ। दिल्ली के अन्दर किसान यदि पराली जलाए तो उसके ऊपर 50–50 हजार रुपये जुर्माना हो रहा है, उनके खिलाफ मुकदमें दर्ज हो रहे हैं। मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि हम पराली से खाद बनाएंगे। वो योजना ठीक से अमल में आ जाए। मुख्य मंत्री जी हम बड़े आभारी रहेंगे आपके। आपने विज्ञापन दिए, आपने टीवी के ऊपर ऐड दी। लेकिन जमीन पर जो है ना पराली के ढेर पड़े हुए हैं। आप जा के स्वयं देख लें। माननीय हमारे गोपाल राय जी चले जाएं माननीय हमारे गहलोत जी राजस्व मंत्री हैं, वो चले जाएं।

माननीय अध्यक्षः बिधूड़ी जी, अब हो गया प्लीज।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः अब मैं...

माननीय अध्यक्षः नहीं, अब नहीं प्लीज।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः चार बार अध्यक्ष जी, अब हमारे 4–5... अब मैं किसान बिल पे आ रहा हूँ ना।

माननीय अध्यक्षः नहीं–नहीं, अब नहीं, अब मैं समय नहीं दूंगा।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः दिल्ली के अन्दर, दिल्ली के अन्दर अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्षः बिधूड़ी जी, प्लीज। नहीं, अब नहीं।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः अध्यक्ष जी, एक मिनट आपसे मांगा है।

माननीय अध्यक्षः तीन मिनट हो गए।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः किसान क्रेडिट कार्ड योजना लागू नहीं हो रही।

माननीय अध्यक्षः तीन मिनट हो गए बिधूड़ी जी। तीन मिनट हो गए।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना लागू नहीं हुई, उसको लागू करें। मृदा स्वास्थ्य योजना लागू नहीं, उसको लागू करें। स्वाइन कार्ड योजना लागू नहीं हुई, उसको लागू करें और प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना है, उसको लागू करें और प्रधान मंत्री जी का जो कृषि विकास योजना के तहत जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसको लागू करें और संस्थागत कृषि ऋण जो दिए जाते हैं, उसका लाभ हमारे दिल्ली के किसानों को नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी की ये जो किसानों के हित में जो योजनाएं बनाई गई हैं, मैं आपके माध्यम से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर दिल्ली से आग्रह करता हूँ कि इनके ऊपर अमल करें। ये ही मैं आग्रह करना चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। आपने मुझे समय दिया बहुत–बहुत।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद, धन्यवाद। श्री दिलीप पाण्डेय जी।

श्री दिलीप पाण्डेयः (माननीय मुख्य सचेतक) बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। किसान हित में बोलना, अपनी बात रखना मतलब देश हित पे अपनी बात रखने के बराबर है। मैं इस बिल के ऊपर अपनी बात रखूं, उसके पहले आज की चर्चा में विपक्ष के साथी जो हैं, वो कर्मठ किसान और मुफ्तखोर मेयर इन दोनों के बीच समानांतर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। मैं उन्हें सूचित करना चाहूंगा कि किसान आंदोलित इसलिए है कि उसकी किसानी जा रही है। उसकी खेती जा रही है और

मेयर धरने पर इसलिए है कि ढ़ाई हजार करोड़ खा लिए, और खाने को चाहिए इसलिए धरना दिया है। ये अंतर है दोनों में, ये दोनों में मूलभूत अंतर है। मुझे उम्मीद थी कि समझ रहे होंगे पर समझे नहीं बड़ा दुखी होता हूँ अध्यक्ष महोदय, और कहने के लिए नहीं, मैं असल में किसान का बेटा हूँ। 5 बीघे खेत अभी भी हमारे यहाँ हैं। पूर्वांचल में गाजीपुर जिले के अंदर जमानिया कस्बा है। वहां बहादुरपुर एक गाँव है जहां पर मेरा 5 बीघे का खेत आज भी है। अब चूंकि यहां हैं तो अधिया बटइया पर चला जाता है और इसलिए मैं इस बात को समझता हूँ कि कैसे मेरे घर के लोग मेरे बचपने में पूस की रात में ठेहुना भर पानी में ठंडे पानी में फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है, खड़े रहते थे। इस उम्मीद में कि फसल पकेगी तो दो बहनें, उनकी शादी के लिए थोड़ा पैसा जोड़ लेंगे, ये बेटा बड़ा होगा तो उसके पढ़ने के लिए थोड़ा सा पैसा जोड़ लेंगे। ये चिंताएं हुआ करती थी किसान की। आज किसान इस चिंता में मरा जा रहा है कि उसकी खेती, उसकी किसानी कोई बड़ा कारोबारी आएगा और छीन ले जाएगा। अपनी स्वयं की दो पंक्तियाँ इस माध्यम से किसान के दिल के दर्द को मैं बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ:

मैं किसान हूँ

धरती का सीना चीर कर सिर्फ बीज नहीं बोता

देश के लिए उम्मीद बोता हूँ।

मैं किसान हूँ

लेकिन जब से हुक्मरान पत्थर दिल हुए

मैं मरता सड़कों पर तड़पता दिन रात रोता हूँ।

रो रहा है किसान आज। हैरान परेशान है किसान आज। उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। 21 दिन हो गए और औसतन प्रतिदिन एक जान गयी है किसान की। पहली जान गयी, तभी सत्ता को जाग जाना चाहिए था। सत्ता को अहंकार छोड़ देना चाहिए था। केन्द्र की इस सरकार को समझना चाहिए था कि जो खुफिया फायदा हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, दरसल वो

झूठ फरेब वो स्वीकारने वाले नहीं हैं लेकिन उसके बजाय किसानों को एक के बाद एक लगातार 6 मीटिंगों में थकाया जा रहा है। उन्हें गलत करार दिया जा रहा है। उनके परसेप्शन को खराब करने की कोशिश की जा रही है। बड़ा दुःख हुआ, बहुत तकलीफ हुई, किसानों को अलग–अलग लेवल चिपकाने लगे भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके नेता। इनका तरीका भी बड़ा अजब है। राजनीति नहीं करनी देश के ऊपर, किसान के ऊपर, सैनिकों के ऊपर, देशभक्ति के ऊपर जबकि ये खुद सैनिकों की शहादत को चुनावों में भुनाते हैं। कोरोना जैसी आपदा को भी अवसर बनाते हैं और किसानों ने हक मांगा तो उन्हें आतंकवादी बताते हैं। ये भाजपाई कैसे बताएंगे कि इतनी खुदगर्जी कहां से लाते हैं ये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर किसानों के लिए पास किए गए काले कानून में किसी को कोई फायदा नजर आ रहा होता तो सुप्रीम कोर्ट को नहीं कहना पड़ता कि आपका ये कानून किसानों को राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलित कर देगा। सुप्रीम कोर्ट भी समझ रहा है। मैं अपनी बात को इन चार पंक्तियों के साथ खत्म करूंगाः

मैं कहाँ जाके रख दूं अपने हिस्से की शराफत,

जिधर भी देखता हूँ,

उधर बेईमान खड़े हैं,

और,

क्या खूब तरक्की कर रहा है अब देश, देखिये,

खेतों पर अंबानी अडानी और सड़कों पर किसान पड़े हैं।

बहुत–बहुत धन्यवाद महोदय, मैं आज इस रेजल्यूशन का समर्थन करता हूँ।

अध्यक्ष महोदयः धन्यवाद, आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी।

माननीय मुख्य मंत्री (श्री अरविंद केजरीवाल): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं बाबा राम सिंह जी की शहादत को नमन करता हूँ। आज के इस खुदगर्ज

दौर के अंदर भी ऐसे—ऐसे लोग हैं जो दूसरों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, किसानों के लिए उनके मन में इतनी पीड़ा है कि वो इतनी बड़ी सुप्रीम सेक्रिफाइस कर सकते हैं। जो पत्र लिखकर वो शहीद हुए, उस पत्र में उनका दर्द था कि मुझसे किसानों का दर्द देखा नहीं जा रहा। वो रोज सिंघु बॉर्डर पर आया करते थे किसानों के लिए जैकेट, कंबल रोज लेकर आया करते थे और जब किसानों की वो पीड़ा उनके लिए असहाय हो गई तो उन्होंने ये शहादत दे दी। अभी तक 20 से ज्यादा किसान इस आंदोलन में शहीद हो चुके हैं। इस आंदोलन को भी 20 दिन हुए हैं तो लगभग रोज एक किसान इस आंदोलन में शहीद हो रहा है। मैं केन्द्र सरकार से पूछना चाहता हूँ कि और कितनी शहादत और, और कितनी जान आप लोग लोगे, उसके पहले कि आप इस देश के किसानों की बात सुनोगे?

अध्यक्ष महोदय, अंग्रेजों के समय एक ऐसा ही आंदोलन हुआ था 1907 में। उस आंदोलन का नाम था पगड़ी संभाल जट्टा। पंजाब में आंदोलन हुआ था बिलकुल हू—ब—हू ऐसा ही आंदोलन। वो आंदोलन भी 3 कानूनों के खिलाफ था। अंग्रेजों ने 3 कानून पास किए थे; 'बारी दोआब ऐक्ट', 'पंजाब लैंड कोलोनाइजेशन ऐक्ट', 'पंजाब लैंड एलाइनेशन ऐक्ट' और पंजाब के किसानों ने इसके खिलाफ आंदोलन किया था और इतनी संख्या में लोग इकट्ठे हुए थे। 9 महीने तक ये आंदोलन चला था अंग्रेजों के खिलाफ। तो एक तो ये केन्द्र सरकार ये न समझ ले कि ये किसान आसानी से जाने वाले हैं। उस आंदोलन की लीडरशिप की थी भगत सिंह के पिताजी किशोरी सिंह जी ने और भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह जी ने। उन दोनों ने मिलके एक भारत माता निर्माण सोसायटी बनायी थी। उस सोसायटी की लीडरशिप के अंदर वो आंदोलन हुआ था, इन तीनों कानूनों को खारिज करवाने के लिए। उस वक्त भी अंग्रेज सरकार ने कहा था थोड़े अमेंडमेंट कर देते हैं। कई राउंड्स आफ डिस्कशन हुए थे। अंग्रेज सरकार ने कहा कि इसमें थोड़े बदलाव कर देते हैं लेकिन किसान डटे हुए थे कि हमें तीनों कानून वापस करवाने हैं और अंत में अंग्रेजों ने तीनों कानून वापस लिए थे। मैं सोच रहा था कि अब भगत सिंह ने क्या इसी बात के लिए कुर्बानी दी थी कि जब देश आजाद होगा तो अपनी सरकारों के खिलाफ भी इसी किस्म से आंदोलन करने पड़ेंगे। आजाद भारत के अंदर भी इतने लोगों को अपनी जान कुर्बान

करनी पड़ेगी। आज कितने किसान हमारे सिंघु बॉर्डर के ऊपर सुप्रीम सेक्रिफाइस दे रहे हैं। एक एक किसान भगत सिंह बनके वहाँ पर बैठा हुआ है। केन्द्र सरकार कह रही है कि किसानों को कानून की समझ नहीं, कानूनों का फायदा समझ नहीं आ रहा है तो केन्द्र सरकार ने अपने सारे बड़े दिग्गज नेता जितने बड़े–बड़े इनके नेता हैं, उनको उतारा है कि समझाओं और वो समझा रहे हैं। आज योगी आदित्य नाथ जी जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं; उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो टीवी में आ रहा था, शायद बरेली में 20 हजार किसानों की रैली उन्होंने की। उनको कहा गया भई इन तीनों बिलों के फायदे समझाओ तो फायदे समझाने लगे वो। मैं सुन रहा था उनका भाषण, ''तुम्हारी जमीन नहीं जाएगी,'' ये फायदा है क्या? वो तो थी, अभी तक, अब जाएगी नहीं, मतलब ये क्या फायदा है? ''तुम्हारी मंडी बंद नहीं होगी,'' ये फायदा है क्या? ''तुम्हारी मंडी बंद नहीं होगी, तुम्हारी जमीन नहीं जाएगी, तुम्हारा ये...'' अरे भइया! ये तो था ही हमारे पास, फायदा क्या है? तो इनसे किसी से पूछ लो, ये भी इतने सारे बैठे हैं, किसी से पूछ लो, किसी भाजपा वाले से कि फायदा क्या है?

...(व्यवधान)

माननीय मुख्य मंत्रीः वो बता रहे हैं कि, आ रहा हूँ मैं, उस पर फायदा और नुकसान दोनों नफा–नुकसान बताऊंगा, चिंता न करो। तो इनसे किसी से पूछो भाजपा वाले से फायदा क्या है? तो सारे जनों को एक लाइन रटा रखी है। ''किसान अब अपनी फसल पूरे देश में कहीं भी बेच सकता है,'' यही कहते हैं न ये?

...(व्यवधान)

माननीय मुख्य मंत्रीः एक मिनट मेरे को बोलने दीजिए, आप लोग जब बोल रहे थे, मैं चुपचाप सुन रहा था।

अध्यक्ष महोदयः आप मुख्य मंत्री जी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, बिधूड़ी जी बोलें तो बोलना।

माननीय मुख्य मंत्रीः आज धान का एमसीपी 1868 है। उत्तर प्रदेश और बिहार में

ये 900–1000 रुपये में बिक रहा है। मेरे को बता दो कि पूरे देश में मेरा बिहार और उत्तर प्रदेश का किसान कहाँ ये फसल बेच के आये कि इसको एमएसपी से ज्यादा दाम मिल जाए? हवा में बात करने से क्या फायदा? ''कहीं भी बेच लो, कहीं भी बेच लो।'' अरे! कहाँ बेच लें, बताओ तो सही? ''अब हमारे देश का किसान पूरे देश में कहीं भी बेच सकता है।'' वो देश का किसान कहीं भी नहीं बेचेगा, उनको भी पता है कि कौन बेचेगा? उनसे पंजाब में खरीदेगा, उत्तर प्रदेश में उनसे 800 रुपये में बेच के वही बड़े बड़े पूंजीपति इतनी महंगाई कर देंगे कि वो पूरे देश के अंदर इसको महंगा बेचेंगे। ये किसानों के बेचने के लिए कानून नहीं बनाया गया है। तो कहा जा रहा है कि किसानों को भ्रमित किया जा रहा है। किसानों को भ्रमित नहीं किया जा रहा, भाजपाइयों को भ्रमित किया जा रहा है। सारे भाजपाइयों को अफीम खिला दी है और अफीम खिला के कह दिया है, ''ये रट के सिर्फ यही बोलो।'' मैंने आज पूरा भाषण सुना योगी आदित्य नाथ जी का, उनको भी नहीं पता, इसका क्या फायदा है। वो पूरे भाषण में... वो भाषण था इसी बात के लिए कि किसानों को बताना है कि इसका क्या फायदा है। आज सुप्रीम कोर्ट में केस था, कल भी था। हमारे वकील ने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होके कहा कि किसानों की मांगें जायज हैं, किसानों की मांगे मानी जानी चाहिए। केस इसलिए था कि दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर किसान बैठे हैं इसलिए ट्रेफिक की दिक्कत हो रही है। हमारे वकील ने खड़े होके कहा है, ''जी, इसके लिए केन्द्र सरकार जिम्मेदार है। आज अगर अभी केन्द्र सरकार एक घंटे में इनकी मांग मान ले, धरना उठ जाएगा।'' ''धरना क्यों नहीं उठ रहा?'' ''धरना इसलिए नहीं उठ रहा, केन्द्र सरकार नहीं करने दे रही।'' तो केन्द्र सरकार का वकील बोलता है कि ये दिल्ली... सरकार का वकील तो किसानों का वकील बना हुआ है। मैं केन्द्र सरकार वाले को कहना चाहता हूँ कि तुम भी किसानों के वकील बनो, तुम भी किसानों का काम, केस के लिए करो। किसान इस देश का निर्माता है और अगर किसानों की वकालत नहीं करोगे तो किसकी वकालत करोगे? दलालों की वकालत करोगे तुम? एक कई लोग मुद्दा उठा रहे थे कि कोरोना काल में आर्डिनेंस क्यों पास किया गया, ऐसी क्या जल्दबाजी थी? अभी ये कानून शायद 70 साल के भारत के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि राज्य सभा के अंदर बिना वोटिंग के वहाँ पर राज्य सभा अध्यक्ष ने पास... पास... पास... करके पास कर दिया जब कि पूरा हाउस चिल्ला रहा

था। जैसे आप यहां बैठे हैं, कई बार हाउस चिल्लाता है। आपने तो कभी बिना वोटिंग के कोई कानून पास नहीं किया। अगर हाउस चिल्लाता है, आप 10 मिनट के लिए एडजॉर्न कर देते हो, फिर दोबारा बैठते हैं, फिर हाउस ऑर्डर में आ जाता है, फिर वोटिंग कराते हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि बिना वोटिंग के अंदर तीन कानून बस पास... पास... कर दिए अध्यक्ष ने और पास हो गए, कोई वोटिंग नहीं कराई गयी इसके ऊपर। ऐसी क्या आफत थी कि ये कानून पास कर दिए गए? पिछले 6–7 साल से आप देख रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों को कितना महंगा कर दिया है। कितना पैसा खर्च होता है चुनावों के अंदर, कितना पैसा खर्च होता है। ये कानून किसानों के लिए नहीं बनाए गए, ये कानून भारतीय जनता पार्टी के चुनावों की फंडिंग कराने के लिए बनाए गए हैं। इसको ये देश जितनी जल्दी समझ ले, किसान तो समझ गए बाकी देश भी जितनी जल्दी समझ ले, उतना अच्छा होगा।

तो अध्यक्ष महोदय, मैं इसका समर्थन करता हूँ और ये 3 कानून हैं, ये तीनों कानूनों को मैं सदन के सामने, (कुछ कागजात फाड़ते हुए) (सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा जय जवान जय किसान का कई बार नारा लगाया गया।) इन तीनों कानूनों को फाड़ते हुए मुझे बेहद दर्द हो रहा है। मेरा बिल्कुल मकसद नहीं था इसे फाड़ने का लेकिन आज जब मेरे देश का किसान सड़कों के ऊपर 2 डिग्री टेंपरेचर के अंदर सड़कों पर सो रहा है और वो तकलीफ में है तो मैं अपने देश के किसान और अपने देश के जवान के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। मैं भी पहले इस देश का नागरिक हूँ मुख्य मंत्री बाद में हूँ। तो आज इन तीनों कानूनों को ये विधान सभा खारिज करती है और केन्द्र सरकार से अपील करती है कि किसानों की बात मानते हुए अंग्रेजों से बद्तर मत बनो। अंग्रेजों ने 9 महीने में कानून वापस ले लिए थे आप कम से कम आजादी की इतनी तो इज्जत रख लो कि 20 दिन के बाद अब इन कानूनों को वापस ले लो।

माननीय अध्यक्षः अब श्री कैलाश गहलोत , माननीय राजस्व मंत्री द्वारा नियम–90 के तहत प्रस्तुत संकल्प सदन के सामने है,

जो इसके पक्ष में हैं वो हां कहे,ो इसके विरोध में हैं वो न कहें,

(ध्वनिमत हाँ पक्ष में होने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पर जीता,

संकल्प स्वीकार हुआ।

सदन पटल पर प्रस्तुत कागजात

माननीय अध्यक्षः अब श्री सत्येन्द्र जैन जी, माननीय ऊर्जा मंत्री कार्य सूची के बिंदु क्रमांक–2 में दर्शाये गये सभी दस्तावेजों की प्रतियाँ सदन पटल पर प्रस्तुत करेंगे।

माननीय ऊर्जा मंत्री (श्री सत्येन्द्र जैन): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची के बिंदु क्रमांक–2 में दर्शाये गये निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रति सदन पटल पर प्रस्तुत करता हूँ[1]:

1. दिल्ली पॉवर कम्पनी लिमिटेड का वित्त वर्ष 2017–18 हेतु वार्षिक प्रतिवेदन

(हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रतियां)

2. दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड का वित्त व÷ा 2018–19 हेतु 18वां वा÷िाक प्रतिवेदन

(हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रतियां)

3. इन्द्रप्रस्थ पावर जनरेषन कम्पनी लिमिटेड तथा प्रगति पॉवर कॉरपोरेषन लिमिटेड का वित्त वर्ष 2018–19 हेतु 18वां वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रतियां)

माननीय अध्यक्षः अब सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित होती है। फिर नेक्स्ट विषय पर चर्चा होगी।

---

1 पुस्तकालय में संदर्भ संख्या 21174–76 पर उपलब्ध।

सदन अपराह्न 5:20 बजे पुनः समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष (श्री रामनिवास गोयल) पीठासीन हुए।

सदन में अव्यवस्था

श्री सौरभ भारद्वाजः सर, ये काले कानूनों को वापस लेना चाहिए। सर हम अपना केन्द्र सरकार को हमारी...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः चर्चा हो गयी न इस पर।

श्री सौरभ भारद्वाजः इसको अब हाउस ने पास किया है सर, अब ये आपकी अमानत है। अब आपको इसको वापस करवाना चाहिए सर, केन्द्र सरकार को।

(सत्त पक्ष के सदस्यों द्वारा वेल में आकर काला कानून वापस लेने की नारेबाजी)

माननीय अध्यक्षः मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूँ, अपने अपने स्थान पर बैठें।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूँ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूँ। माननीय सदस्य अपने अपने स्थान पर जाएं।

(सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा वेल में आकर लगातार नारेबाजी)

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः कृपया... मैं बोल रहा हूँ उनको।

(सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा वेल में आकर लगातार नारेबाजी)

माननीय अध्यक्षः मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूँ कि अपनी अपनी कुर्सी पर जाएं। बिल पर चर्चा हो चुकी है। अपनी अपनी कुर्सियों पे जाएं।

माननीय सदस्यगण!

(सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों वेल में लगातार जय जवान, जय किसान और काला कानून वापस लो का नारा लगाते रहे।)

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्यगणों से प्रार्थना है कि अपनी अपनी कुर्सियों पे जाएं।

(सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों वेल में लगातार काला कानून वापस लो का नारा लगाते रहे।)

माननीय अध्यक्षः अब बैठे। माननीय सदस्यगण! अपने अपने कुर्सियों पर बैठे। माननीय सदस्यगणों से प्रार्थना है अपने अपने कुर्सियों पर बैठें।

(सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों वेल में लगातार जय जवान, जय किसान और काला कानून वापस लो का नारा लगाते रहे।)

माननीय अध्यक्षः थोड़ा पीछे हो। थोड़ा ध्यान रखो।

(सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा वेल में लगातार नारेबाजी।)

माननीय अध्यक्षः मैं माननीय सदस्यगणों से प्रार्थना कर रहा हूं, कृपया अपनी अपनी चैयर पर बैठे, अपना अपना स्थान लें। माननीय सदस्यगण! माननीय सदस्यगण!

(सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा वेल में लगातार नारेबाजी।)

माननीय अध्यक्षः अगला विषय सौरभ भारद्वाज जी का बहुत महत्वपूर्ण है। मैं सभी माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूँ। नगर निगम पर चर्चा हो रही है। अपने अपने स्थान पर बैठे। माननीय सदस्यगण। राखी जी, मेरे आगे, मेरे आगे मत हो प्लीज।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा वेल में लगातार नारा लगाते रहे।)

माननीय अध्यक्षः मैं एक बार फिर माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूँ। कृपया अपने अपने स्थान पर बैठें। सदन की कार्यवाही सवा पांच बजे तक स्थगित की जाती है।

सदन अपराह्न 5:15 बजे पुनः समवेत हुआ

माननीय अध्यक्ष (श्री रामनिवास गोयल) पीठासीन हुए।

माननीय अध्यक्षः सौरभ जी बैठिये बैठिये प्लीज। सौरभ जी बैठिये। सदन का समय खराब हो रहा है। ये विषय हो चुका है।

...(व्यवधान)

(सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा वेल में लगातार नारेबाजी।)

माननीय अध्यक्षः दिलीप पाण्डेय जी, ये विषय हो चुका है। आप चीफ व्हिप हैं। जरा करिये इसको ठीक ठाक। सदन की कार्यवाही चल सके।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूँ। अपने अपने स्थान पर बैठें।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मैं माननीय सदस्यों से बार–बार प्रार्थना कर रहा हूँ। अपने स्थान पर बैठें।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूँ, कृपया अपनी–अपनी चैयर पर बैठें।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्य। प्लीज बैठिये। मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर

रहा हूँ। कृपया बैठें।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूँ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूँ, अपने अपने स्थान पर बैठें।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्य अपने अपने स्थान पर बैठें।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः सदन की कार्यवाही, सदन की कार्यवाही कल सुबह 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

फिर ध्यान दे लें कि सदन की कार्यवाही कल सुबह 11.00 बजे तक स्थगित की जाती है। सदन कल सुबह 11.00 बजे लगेगा। सभी सदस्य ध्यान दें, कल सुबह 11.00 बजे सदन लगेगा। लंच की व्यवस्था यहीं रहेगी। कल सदन सुबह 11.00 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है। सदन कल सुबह 11.00 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है। सदन की कार्यवाही 11.00 बजे होगी। लंच विधान सभा में ही होगा।

(माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार सदन की कार्यवाही 18 दिसम्बर, 2020, सुबह 11.00 बजे तक स्थगित की गयी।)

...समाप्त...